

(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III खंड 4 में प्रकाशित)

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या -217

नई दिल्ली, 30 अगस्त 2010.

### अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 तथा 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार, इस प्राधिकरण की अधिसूचना सं. टीएएमपी/52/2007-विविध दिनांक 26 फरवरी, 2008 द्वारा महापत्तनों में सर्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार कोयला प्रहस्तन के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण करने हेतु तुतीकोरिन पत्तन न्यास से प्राप्त समीक्षा प्रस्ताव का निपटान करता है।

(रानी जाधव)  
अध्यक्षा

**महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण**  
**मामला नं टेम्प/29/2010-टीपीटी**

तूत्तुककुडि पत्तन न्यास

आवेदक

आदेश

(दिनांक 23 जुलाई 2010 को पारित)

इस प्राधिकरण में तूत्तुककुडि पत्तन पर कोयले की सम्हलाई के लिए अप्फ्रन्ट प्रशुल्क नियत करने के लिए दिनांक 23 फरवरी 2010 को आदेश सं:टेम्प/27/2009-टीपीटी जारी किया था। उक्त आदेश को दिनांक 16 अप्रैल 2010 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

2. उक्त आदेश के संदर्भ में, तूत्तुककुडि पत्तन न्यास (टीपीटी) में 14 जून 2010 को एक पत्र भेजा। मेसर्स स्टेरलैट इन्डस्ट्रीस इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत/मांगी गई स्पष्टीकरणों के आधार पर टीपीटी ने अपने उपरोक्त पत्र में निम्नलिखित मुद्दे बनाये हैं

(i) संयुक्त सुनवाई के दौरान पत्तन ने स्पष्ट किया था कि कोयला कार्गो के अप्फ्रन्ट प्रशुल्क दरे सभी बल्क कार्गो के लिए भी लागू होंगे जिसे प्रस्तावित संरचनाओं के साथ सम्हाले जा सकते हैं। लेकिन दिनांक 16.04.2010 को राजपत्र में अधिसूचित आदेश में प्राधिकरण ने पैरा 10 (xii) के जरिए इसे स्वीकार नहीं किया और सिर्फ थर्मल कोयला और औद्योगिक कोयला के लिए ही दरों को अधिसूचित किया।

(ii) यह प्रस्तुत है कि परियोजना का स्कोप सभी बल्क कार्गो को कवर करता है। मेसर्स स्टेरलैट इन्डस्ट्रीस इंडिया लिमिटेड ही एकमात्र आवेदक है जिसने थर्मल कोयला एवं आद्योगिक कोयला के अलावा कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट ही सम्हलाई में करने की रुचि दिखाई। कंपनी ने, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना सं:102 दिनांकित 16.04.2010 के जरिए अधिसूचित थर्मल कोयला एवं इन्डस्ट्रीयल कोयला के लिए अप्फ्रन्ट प्रशुल्क के दरों को कॉपर कॉन्सन्ट्रेट तथा रॉक फॉस्फेट के लिए अपनाने की स्वीकृति भी जाहिर की।

(iii) दिनांक 16.04.2010 को प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दरों को एनसीबी-11 में सम्हाले जानेवाले बल्क कार्गो को लागू करने हेतु उपयुक्त संशोधन जारी करने के लिए पत्तन के अनुरोध पर विचार करने हेतु प्राधिकरण से अनुरोध किया जाता है।

**3.1** टीपीटी द्वारा दिये गये मुद्दे के संदर्भ में, टीपीटी को दिनांक 16 जून 2010 के हमारे पत्र के जरिए निम्नलिखित मुद्दे बताये गये थे :

(i) टीपीटी द्वारा प्रस्तुत व्यवहारियता रिपोर्ट, थर्मल कोयला एवं आद्योगिक कोयला की सम्हलाई के लिए बर्थ का विकास करने के लिए है। व्यवहारियता रिपोर्ट की धारा 5.1 स्पष्ट रूप से बताता है कि एनसीबी-11, थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयला सम्हालेगा और रिपोर्ट की स्टाकिंग तथा इवाक्युेशन प्लान सिर्फ इन दो कार्गो आइटमों को ही कवर करेगा। रिपोर्ट में आंकलित क्षमता भी इन दो कार्गो आइटमों के लिए अस्यूम्ड कल्पित सम्हलाई दरों के संदर्भ के लिए हैं। व्यवहारियता रिपोर्ट के अनुलग्नक 10.01 के अनुसार अनुलग्नित राजस्व आवश्यकता, इन दो कार्गो आइटमों अर्थात थर्मल कोयला एवं आद्योगिक कोयला से प्राप्त राजस्व का प्राक्कलन हैं।

(ii) इस प्राधिकरण द्वारा उसके आदेश सं: टेम्प/27/2009 टीपीटी दिनांक 23 फरवरी 2010 के जरिए टीपीटी पर कोयले की सम्हलाई के लिए नियत अप्फ्रन्ट प्रशुल्क टर्मिनल की इष्टतम क्षमता के संदर्भ में है जिसे थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयला से संबंधित विभिन्न पारामीटरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। हमारे आदेश के पैरा 10 (xii) स्पष्ट करता है कि अप्फ्रन्ट प्रशुल्क नियतन का संपूर्ण प्रयोग थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयले की सम्हलाई के लिए है और वो भी क्रमशः 65% एवं 35% के अनुपात पर है। तथा इन कल्पनाओं ने क्षमता निर्धारणों पर प्रभाव किये हैं और अतः प्रशुल्क।

(iii) इसे माना जाना है कि यह जरूरी नहीं है कि सभी अन्य बल्क कार्गो की सम्हलाई दरें तथा स्टाकिंग फेक्टर अप्फ्रन्ट प्रशुल्क के गणन में अपनाये गये थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयले के समान हों। और आगे इष्टतम क्षमता दो कार्गो अर्थात क्रमशः 65% एवं 35% पर थर्मल कोयला तथा औद्योगिक कोयला के अंश को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। अतः मॉडल में, संबंधित प्रशुल्क आदेश में किसी प्रकार का संशोधन, क्षमता के पुनर्प्राक्कलन के बाद ही विचार किया जा सकता है।

**3.2** ऊपर को ध्यान में रखते हुए, टीपीटी को अतिरिक्त मामलों की सम्हलाई के लिए, अगर आवश्यकता पड़े, तो विस्तृत गणन, सम्हलाई दर के आधार पर क्षमता का पुनर्प्राक्कलन एवं कार्गो मिक्स का अंश, स्टाकिंग फेक्टर इत्यादि के साथ गणन में विचार

किये जानेवाले पैरामीटरों के औचित्य और वर्ष 2008 के प्रशुल्क मार्गदर्शनों का अनुपालन करते हुए प्रस्तावित प्रशुल्क पर व्यापक प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

4. टीपीटी ने दिनांक 16 जून 2010 के हमारे पत्र के उत्तर में एक फेक्स दिनांक 17 जून 2010 को भेजा जिसमें इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2010 को पारित आदेश संदर्भ में थर्मल कोयला और औद्योगिक कोयले के लिए अप्फ्रन्ट प्रशुल्क के नियतन पर उपयुक्त संशोधन जारी करने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा टीपीटी द्वारा किये गये प्रमुख प्रस्तुतीकरण संक्षिप्त में नीचे दिये गये हैं :

(i) प्रत्यक्ष पैरामीटर अर्थात डेन्सिटी, साइज़ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए कॉपर कान्सन्ट्रेट, रॉक फॉस्फेट, उर्वरक इत्यादि की सम्वहलाई दर, स्टोरेज फेक्टर, इवक्कुवेशन प्रॉसस् औद्योगिक कोयले के समान है।

(ii) टीपीटी प्रस्ताव के आधार पर, प्राधिकरण द्वारा नियत अप्फ्रन्ट प्रशुल्क में, थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयला लानेवाले पेनामेक्स जहाजों की क्षमता का अंश 65% एवं 35% माना गया था। टीपीटी ने अब कहा है कि टर्मिनल, थर्मल कोयला को 65% की सीमा तक मुख्यतः सम्वहलगा जैसे कि पहले सोचा गया। अन्य बल्क कार्गो जैसे कि कॉपर कान्सन्ट्रेट, रॉक फॉस्फेट, उर्वरक और औद्योगिक कोयला का अंश 35% तक माना गया है।

(iii) (क) थर्मल कोयला को 40000 टन प्रति दिन और अन्य बल्क कार्गो को 2000 टन प्रति दिन तक लाने वाले पेनामेक्स जहाज के शिप डे आउट पुट को देखते हुए टर्मिनल की इष्टतम क्वे क्षमता, 23 फरवरी 2010 के प्रशुल्क आदेश में आंकलित 8.88 मिलीयन टन प्रति वर्ष के मुकाबले 8.43 मिलीयन टन प्रति वर्ष तक अनुमानित किया गया है।

(ख) थर्मल कोयले के लिए स्टाकिंग क्षेत्र 35000 स्क्वमी तक रखा गया है और शेष 35000 स्क्वमी अन्य बल्क कार्गो के स्टाकिंग के लिए है। थर्मल कोयले के लिए 6.6 टनस/स्क्वमी और अन्य बल्क कार्गो के लिए 3.5 टनस/स्क्वमी के स्टाकिंग फेक्टर को देखते हुए, इष्टतम यार्ड क्षमता को 23 फरवरी 2010 के प्रशुल्क आदेश में अनुमानितानुसार 6.928 मिलियन टन प्रति वर्ष पर कायम रखा जाता है जिसे अप्फ्रन्ट प्रशुल्क के गणन की इष्टतम क्षमता के रूप में माना जाता है।

(iv) अतः संक्षिप्त में, अन्य किसी पैरामीटरों में इसने कोई संशोधन नहीं किया है सिवाय कॉपर कान्सन्ट्रेट, रॉक फॉस्फेट, उर्वरक के साथ औद्योगिक कोयला को शामिल करने के। टर्मिनल की इष्टतम क्षमता, पूंजी लागत और राजस्व आवश्यकता प्राक्कलन को फरवरी 2010 के प्रशुल्क आदेश में विचार किए गए स्तर पर कायम रखा गया है।

(v) उपर्युक्त प्रस्तुतीकरणों के आधार पर, टीपीटी ने अन्य बल्क कार्गो जैसे कि कॉपर कान्सन्ट्रेट, रॉक फॉस्फेट, औद्योगिक कोयला ,उर्वरक इत्यादि के लिए औद्योगिक कोयले के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार रू 163.05 प्रति टन (विदेशी) के स्तर पर के समान दर होने का प्रस्ताव किया है।

5.1 टीपीटी ने संशोधित गणन प्रस्तुत किया है। अप्फ्रन्ट प्रशुल्क के नियतन के दौरान इस प्राधिकरण द्वारा विचार किए गए प्रमुख पैरामीटरों का संक्षिप्त और टीपीटी द्वारा अभी अग्रप्रेषित प्रस्ताव नीचे तालिका में दिया गया है :

23 फरवरी 2010 के प्रशुल्क आदेशानुसार		17 जून 2010 को फेक्स के जरिए टीपीटी द्वारा संशोधित फार्मुलेशन	
विवरण	प्रशुल्क आदेश में विचार किया गया	विवरण	टीपीटी द्वारा संशोधित आक्कलन
इष्टतम क्वे क्षमता		इष्टतम क्वे क्षमता	
पेनामेक्स जहाजों की क्षमता का अंश (थर्मल कोयला के लिए)	65%	पेनामेक्स जहाजों की क्षमता का अंश (थर्मल कोयला के लिए)	65%
पेनामेक्स जहाजों की क्षमता का अंश (औद्योगिक कोयला के लिए)	35%	पेनामेक्स जहाजों की क्षमता का अंश (औद्योगिक कोयला के लिए)	35%
शिप डे आउटपुट — पेनामेक्स जहाज (थर्मल कोयला) — पेनामेक्स जहाज (औद्योगिक कोयला)	<u>टन/दिन</u> 40000 25000	शिप डे आउटपुट — पेनामेक्स जहाज (थर्मल कोयला) — पेनामेक्स जहाज (बल्क कार्गो जैसे कि कॉपर कान्सन्ट्रेट / रॉक फास्फेट / उर्वरक इत्यादि )	टन / दिन 40000 20000

क्वे क्षमता मिलियन टनों में	8.8	क्वे क्षमता मिलियन टनों में	8.43
इष्टतम यार्ड क्षमता		इष्टतम यार्ड क्षमता	
स्टाकिंग क्वालिटी – थर्मल कोयले के लिए  – औद्योगिक कोयले के लिए	6.6 टी/क्व0मी0  3.50 टी/क्व0मी0	स्टाकिंग क्वालिटी – थर्मल कोयले के लिए  – बल्क कार्गो जैसे कि कॉपर कॉन्सन्ट्रेट/ रॉक फास्फेट / उर्वरक इत्यादि	6.6 टी/क्व0मी0  3.50 टी/क्व0मी0
प्लॉट का वार्षिक टर्न ओवर रेशियो	28	प्लॉट का वार्षिक टर्न ओवर रेशियो	28
कुल यार्ड क्षमता (मिलियन टनों में)	6.93	कुल यार्ड क्षमता (मिलियन टनों में)	6.93
टर्मिनल की इष्टतम क्षमता	6.93	टर्मिनल की इष्टतम क्षमता	6.93
सामासिक सम्हलाई प्रभारें (विदेशी) –थर्मल कोयले के लिए	163.05	सामासिक सम्हलाई प्रभारें (विदेशी) –थर्मल कोयले के लिए	163.05
–औद्योगिक कोयले के लिए	163.05	–बल्क कार्गो जैसे कि कॉपर कॉन्सन्ट्रेट/ रॉक फास्फेट / उर्वरक इत्यादि	163.05

5.2 पत्तन ने, अभी प्रस्तावित कार्गो आइटमों जैसे कि कॉपर कॉन्सन्ट्रेट, रॉक फास्फेट, उर्वरक इत्यादि को शामिल किये जाने के संदर्भ में, अपनी समीक्षा प्रस्ताव में गणन में विभिन्न पैरामीटरों पर विचार करने के लिए तर्कसंगति/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। टीपीटी से, अतः दिनांक 21 जून 2010 के हमारे पत्र के जरिए कुछ एक मुद्दों पर सूचना/ स्पष्टीकरणों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। पत्तन ने अपना उत्तर इ-मेल द्वारा दिनांक 25 जून 2010 को प्रस्तुत किया। हमारे द्वारा मांगी गई स्पष्टीकरणों का सार एवं पत्तन द्वारा प्रस्तुत उत्तर नीचे तालिका में है :-

क्रमांक	हमारे द्वारा उठाया गया प्रश्न	टीपीटी द्वारा दिया गया उत्तर												
(i)	टीपीटी द्वारा 35% पर माने जानेवाले औद्योगिक कोयला एवं अन्य बल्क कार्गो आइटमों के अंश के ब्रेक-अप प्रस्तुत किये जायें। हर एक बल्क कार्गो आइटम अर्थात् कॉपर कॉन्सन्ट्रेट, रॉक फास्फेट, उर्वरक एवं औद्योगिक कोयला के अंश को निर्धारण करने के लिए अपनाये गये आधार को स्पष्ट किया जाये।	<p>(क) वर्ष 2009–2010 के दौरान, पत्तन ने 2.59 मिलियन टन का औद्योगिक कोयला, 1.18 मिलियन टन का कॉपर कॉन्सन्ट्रेट, 0.82 मिलियन टन का उर्वरक कच्ची सामग्री, 1.22 मिलियन टन का फिनिशड उर्वरक, 0.82 मिलियन टन का रॉक फास्फेट, एवं 0.42 मिलियन टन का अन्य सूखा बल्क कार्गो को समहाला।</p> <p>(ख) वर्ष 2010–2011 के दौरान, का बिसनस प्लॉन में औद्योगिक कोयले को 1.5 मिलियन टन, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट को 2.00 मिलियन टन और रॉक फास्फेट को 0.55 मिलियन टन के रूप में समझा गया है और उपर्युक्त के लिए वित्तीय प्लॉन के अनुसार क्रमशः 2.52 मिलियन टन, 1.26 मिलियन टन एवं 0.55 मिलियन टन का प्रोजेक्टेड कार्गो है।</p> <p>(ग) उपर्युक्त को देखते हुए, औद्योगिक कोयला एवं अन्य बल्क कार्गो का अंश नीचे दिये गये हैं :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रमांक</th> <th>कार्गो</th> <th>अनुपात</th> <th>अंश</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>औद्योगिक कोयला + अन्य बल्क (2.00+0.48)</td> <td><math>\frac{2.48}{6.93} =</math></td> <td>36%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>कॉपर कॉन्सन्ट्रेट + रॉक फास्फेट + अन्य बल्क (1.18+ 0.82+ 0.48)</td> <td><math>\frac{2.48}{6.93} =</math></td> <td>36%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(घ) उपर्युक्त कार्गो का सामासिक चालू ट्रेन्ड एवं संभाव्य विकल्प के आधार पर है। अल्टीमेट कार्गो प्रोफाइल पीपीपी प्रॉजेक्ट के सफल बिड्डर के आधार पर है।</p>	क्रमांक	कार्गो	अनुपात	अंश	1	औद्योगिक कोयला + अन्य बल्क (2.00+0.48)	$\frac{2.48}{6.93} =$	36%	2	कॉपर कॉन्सन्ट्रेट + रॉक फास्फेट + अन्य बल्क (1.18+ 0.82+ 0.48)	$\frac{2.48}{6.93} =$	36%
क्रमांक	कार्गो	अनुपात	अंश											
1	औद्योगिक कोयला + अन्य बल्क (2.00+0.48)	$\frac{2.48}{6.93} =$	36%											
2	कॉपर कॉन्सन्ट्रेट + रॉक फास्फेट + अन्य बल्क (1.18+ 0.82+ 0.48)	$\frac{2.48}{6.93} =$	36%											

		अतः प्रस्तुत आंकड़े सिर्फ सूचक है और आरएफपी स्टेज के इस जंगचर पर हर एक बल्क कार्गो का अंश का अनुबंध संभव नहीं है।
(ii)	समीक्षा प्रस्ताव में बल्क कार्गो जैसे कि कॉपर कॉन्सन्ट्रेट, रॉक फास्फेट, उर्वरक इत्यादि के लिए सम्हलाई दर 20,000 टन प्रतिदिन पर विचार किया गया। यह भी बताना उपयुक्त है कि विशाखपट्टनम पत्तन न्यास (वीपीटी) पर यांत्रिकीकरण उर्वरक सम्हलाई सुविधाओं के लिए अप्फ्रन्ट प्रशुल्क नियत करने के दौरान विचार किये गये उर्वरक का सम्हलाई दर और फास्फेट का मुरेट 25,000 टन प्रतिदिन है।	टेम्प द्वारा संकेत किये गये अनुसार, शिप बर्थ डे आउट पुट को, टेम्प आदेश दिनांकित 16.04.2010 में विचार किये गये अनुसार 25,000 टन तक संशोधित किया गया है। तदनुसार, टेम्प आदेश दिनांकित 16.04.2010 द्वारा मंजूर किये गये विदेश जानेवाले जहाजों के लिए रु 0.4121 प्रति जीआरटी प्रति घंटे और तटीय जहाज के लिए रु 0.2472 प्रति जीआरटी प्रति घंटे के बर्थ किराया प्रभार को अपनाने के लिए प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाए।
	(क) जैसे कि प्रशुल्क मार्गदर्शनों में रॉक फास्फेट, उर्वरक एवं कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के लिए सम्हलाई नॉम्स निर्धारित नहीं किये गये हैं, टीपीटी को उक्त सामग्रियों के सम्हलाई के लिए उसके द्वारा प्रस्तावित नॉम्स को उचित सिद्ध करना होगा। यह भी देखा गया है कि अन्य बल्क कार्गो जैसे उर्वरक, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट इत्यादि की सम्हलाई के मामले में टीपीटी द्वारा कोई भी व्यवहारियता अध्ययन आयोजित नहीं किया गया है।	तूत्तुकुडि पत्तन पहले से ही इस प्रकार के कार्गो की सम्हलाई कर रहा है और अन्य बल्क कार्गो के लिए सम्हलाई दर, इक्कुवेशन दर लगभग समरूप है। इसके अलावा, चेन्नै पत्तन न्यास परिसर में दिनांक 11.01.2010 को संपन्न संयुक्त सुनवाई के दौरान पत्तन द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत और जिसे 4 (iv)(a) में रिकार्ड किये गये अनुसार समरूप सम्हलाई सुविधा के मामले में बल्क कार्गो के लिए समरूप सम्हलाई दर पर जोर दिया जाता है।  यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि बल्क कार्गो की सम्हलाई के लिए समरूप सम्हलाई सुविधाओं का प्रयोग किया जा रहा है। अतः पहले से ही आयोजित व्यवहारियता अध्ययन को, प्रगति के आरएफपी स्टेज के इस समय पर बल्क कार्गो की निश्चित कार्गो सामासिक के अस्थिरता को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा कृपया स्वीकार किया जाए।

	<p>(ख) कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान इन सामग्रियों के मामले में, पत्तन द्वारा प्राप्त वास्तविक यातायात और निष्पादन स्तरों को प्रस्तुत करें। इस संबंध में इन सामग्रियों के मामले में पत्तन न्यास बर्थों पर अपनायी गयी सम्हलाई प्रणाली का तुलनात्मक विश्लेषण और पीपीपी संचालकों द्वारा नियोजित मानी जानेवाली तकनीकी को प्रस्तुत किया जाए।</p>	<p>बल्क कार्गो के मामले में पत्तन द्वारा प्राप्त वास्तविक निष्पादन दरों को नीचे दिये गये अनुसार तालिका में प्रस्तुत किया गया है :-</p> <table border="1" data-bbox="863 376 1441 674"> <thead> <tr> <th>बर्थ</th> <th>समहले गये कार्गो</th> <th>2007-08 टनों में</th> <th>2008-09 टनों में</th> <th>2009-10 टनों में</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>वीओसी-III</td> <td>सभी बल्क कार्गो</td> <td>18540</td> <td>17656</td> <td>18527</td> </tr> <tr> <td>वीओसी-IV</td> <td></td> <td>15102</td> <td>15662</td> <td>14638</td> </tr> </tbody> </table> <p>पीपीपी संचालक दो संख्या के शोर अनलोडर्स 1800 टीपीहेच क्षमता का प्रबंध करेंगे और हर एक का प्रभावी लादान दर 60% होगा। 1600 एमएम बेल्ट चौड़ाई के साथ 2.5 मीटर/सेकण्ड की रेकमेन्डेड गति के साथ दो संख्या के कन्वेयर प्राप्त करने का भी प्रस्ताव है। इसका रेटिंग 1250 से 2000 टीपीहेच तक होगा। थर्मल कोयले और अन्य बल्क कार्गो की सम्हलाई के लिए कन्वेयर द्वारा दैनिक डिश्चार्ज</p>	बर्थ	समहले गये कार्गो	2007-08 टनों में	2008-09 टनों में	2009-10 टनों में	वीओसी-III	सभी बल्क कार्गो	18540	17656	18527	वीओसी-IV		15102	15662	14638					
बर्थ	समहले गये कार्गो	2007-08 टनों में	2008-09 टनों में	2009-10 टनों में																		
वीओसी-III	सभी बल्क कार्गो	18540	17656	18527																		
वीओसी-IV		15102	15662	14638																		
	<p>(ग) गणन में विचार किये जा रहे हर एक अन्य बल्क कार्गो मदों का सम्हलाई दर, विचार किये जा रहे सम्हलाई उपस्कर की क्षमता और सफल बिड्डर द्वारा विकास किये जा रहे माने जा रहे सुविधाओं के संदर्भ में यथोचित करना होगा।</p>	<p>उपर्युक्त कार्गो का सम्हलाई दर, भंडारण फेक्टर, और इवक्कुवेशन प्रॉसस प्रत्यक्ष पैरामीटरों जैसे कि डेन्सिटी साइज़, शेप, इत्यादि को देखते हुए इनका संचालन एक समान है।</p>																				
(iii)	<p>बल्क कार्गो आइटमों के लिए गणन में कल्पित 3.5 टन/स्कव0 के स्टाकिंग फेक्टर को, पत्तन में पिछले तीन वर्षों में हर एक कार्गो आइटमों के लिए प्राप्त स्टाकिंग हाइट के संदर्भ में यथोचित किया जाए। औद्योगिक कोयले और हर एक बल्क कार्गो आइटमों की डेन्सिटी को, समीक्षा प्रस्ताव में अपनाये गए पैरामीटरों को उचित करने के लिए प्रस्तुत भी किया जाए।</p>	<p>(क) पिछले तीन वर्षों में हर एक कार्गो के लिए प्राप्त स्टाकिंग हाइट नीचे प्रस्तुत है :</p> <table border="1" data-bbox="863 1630 1441 2007"> <thead> <tr> <th>बल्क कार्गो</th> <th>स्टाक हाइट मीटर में</th> <th>औसत डेन्सिटी</th> <th>लोड इन्टेन्सिटी टन/स्कव मी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>औद्योगिक कोयला</td> <td>8.4</td> <td>0.90</td> <td rowspan="5">7.5</td> </tr> <tr> <td>कॉपर कॉन्सन्टेंट</td> <td>3.4</td> <td>2.2</td> </tr> <tr> <td>रॉक फॉस्फेट</td> <td>4.70</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>सल्फर</td> <td>6.3</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>एमओपी</td> <td>8.4</td> <td>0.90</td> </tr> </tbody> </table>	बल्क कार्गो	स्टाक हाइट मीटर में	औसत डेन्सिटी	लोड इन्टेन्सिटी टन/स्कव मी	औद्योगिक कोयला	8.4	0.90	7.5	कॉपर कॉन्सन्टेंट	3.4	2.2	रॉक फॉस्फेट	4.70	1.60	सल्फर	6.3	1.2	एमओपी	8.4	0.90
बल्क कार्गो	स्टाक हाइट मीटर में	औसत डेन्सिटी	लोड इन्टेन्सिटी टन/स्कव मी																			
औद्योगिक कोयला	8.4	0.90	7.5																			
कॉपर कॉन्सन्टेंट	3.4	2.2																				
रॉक फॉस्फेट	4.70	1.60																				
सल्फर	6.3	1.2																				
एमओपी	8.4	0.90																				

		<p>जहां तक उपर्युक्त का संबंध है, ग्रीन गेट के अंदर ट्रान्सिट क्षेत्र ने और वार्फ हाउस क्षेत्र ने सीमित खुली जगह को देखते हुए उपर्युक्त सिर्फ सूचना के लिए है।</p> <p>(ख) जैसे कि प्रस्तावित प्रॉजेक्ट, स्पेशलाइस्ड स्टाकिंग उपस्करों के प्रयोजन के साथ इयरमार्कड स्टाकिंग उपस्करों को शामिल करता है, अध्यतन बर्थों में प्रबंध व्यक्तिगत उपभोक्ताओं द्वारा, अपने अपने संबंधित कार्गो के भंडारण के समय तदर्थ रूप से प्रबंध किया जाता है। अतः इसे, पीपीपी प्रॉजेक्ट के विषय के लिए आबंटित क्षेत्र के पैरामीटरों के साथ तुलना नहीं किया जा सकता।</p>
(iv)	<p>कॉपर कॉन्सन्ट्रेट, रॉक फॉस्फेट, उर्वरक को 28 पर वार्षिक टर्नओवर के विचार के आधार को, पिछले तीन वर्षों में पत्तन में सम्हाले गए इन कार्गो आइटमों के संदर्भ के साथ यथोचित किया जाए।</p>	<p>(क) मार्गदर्शन में निर्धारित कोयला टर्मिनल के लिए प्लॉट टर्नओवर के लिए नॉम्स 12 है। टीपीटी ने दिनांक 9 फरवरी 2010 के अपने पत्र में, उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देते हुए टर्नओवर फेक्टर में संशोधन प्रभावी किया है और मूल प्रस्ताव में विचारार्थ 32 के बजाय 28 माना है। पत्तन ने बताया है कि 28 के टर्नओवर फेक्टर को, 18000 टन प्रति दिन के इवेक्कुवेशन के आधार पर विचारार्थ है।</p> <p>(ख) पत्तन ने पुष्ट किया है कि 18000 टनस प्रति दिन के दर का इवेक्कुवेशन संभव है और अतः 28 का टर्नओवर रेशियो प्राप्य है। पत्तन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर पत्तन द्वारा माना जाने का टर्नओवर फेक्टर को गणन में लाने का विचार है। यह देखा गया है कि विशाखपट्टणम पत्तन न्यास और पारादीप पत्तन न्यास में कोयले टर्मिनलों के लिए विचार किया गया प्लॉट टर्नओवर 30 है और टीपीटी द्वारा विचार किया गया पैरामीटर 28 अन्य दो पत्तनों से ज्यादा अलग नहीं है। पत्तन ने, इस प्रस्ताव में ही सडक द्वारा इवेक्कुवेशन को मान्यता दी है।</p>

		अतः, 28 के इवेक्कुवेशन दर को कृपया स्वीकार किया जाए ।
(v)	समीक्षा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत अप्फ्रंट प्रशुल्क गणन बल्क कार्गो जैसे कि कॉपर कॉन्सन्ट्रेट, रॉक फॉस्फेट, उर्वरक इत्यादि बताता है, पर औद्योगिक कोयले को अलग से नहीं बताता है । यह लगता है कि टीपीटी इसे 'इत्यादि' के अधीन लाने का प्रस्ताव किया है । औद्योगिक कोयले के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अप्फ्रंट प्रशुल्क में समझे गए अनुसार 25000 टनस की सम्हलाई दर के मुकाबले अन्य कार्गो आइटमों की सम्हलाई दर ( अर्थात 20000 टनस प्रति दिन ) के अंतर को देखते हुए, यह जरूरी है कि इष्टतम क्वे क्षमता, कॉम्पोसिट सम्हलाई दर और बर्थ किराया प्रभार निर्धारित करने के दौरान औद्योगिक कोयले को अलग से विचार किया जाए ।	<p>औद्योगिक कोयले के लिए अप्फ्रंट प्रशुल्क ,टाम्प द्वारा उसके आदेश दिनांकित 16.4. 2010 में पहले से ही अधिसूचित कर दिया है। यह पत्तन के प्रस्ताव में विचार किए गए 25000टनस प्रति दिन की सम्हलाई दर के आधार पर है और उपर्युक्त आदेश द्वारा शामिल है। यह पुष्ट है कि 25000 एम टी की सम्हलाई दर थर्मल कोयले को छोड़कर सभी बल्क कार्गो को एकसमान लागू है। संशोधन जारी करने के दौरान, औद्योगिक कोयले को अन्य बल्क कार्गो के साथ विचार किया जाएगा ।</p> <p>इस तथ्य को कि थर्मल कोयले को छोड़कर बल्क कार्गो के लिए नियत 25000 टन प्रति दिन माना गया है, तो औद्योगिक कोयले के लिए अलग से इष्टतम क्वे क्षमता, कॉम्पोसिट सम्हलाई दर और बर्थ किराया प्रभार निर्धारित करने का प्रश्न उठने की जरूरत ही नहीं समझी गई ।</p>
(vi)	हरेक कार्गो आइटमों की सम्हलाई दर, कार्गो क्षमता का अंश और बर्थ किराया प्रभार के निर्धारण में शामिल अन्य फॉक्टरों पर विचार करते हुए बर्थ किराया को दुबारा रीवर्क किया जाए ।	<p>एक रूप सम्हलाई संरचनाओं के मामले में बल्क कार्गो, जिसमें औद्योगिक कोयले को शामिल करते हुए और थर्मल कोयले को छोड़कर सम्हलाई दर एक समान है और अतः बर्थ किरायें को रीवर्क करने का सवाल नहीं उठता ।</p> <p>इसके अलावा कार्गो का संमिश्रण वास्तव में, यूज़र प्रोफाइल के मामले में प्राधिकृत प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ आरएफपी प्रॉसेस् पूरा होने के बाद चयन किए गये डीबीएफओटी संचालक के आधार पर है और इस प्रॉजेक्ट का स्कोप वर्तमान में बताया नहीं जा सकता। अतः अभी के लिए बर्थ किरायें को रीवर्क करने का सवाल नहीं उठता ।</p>
(vii)	टीपीटी पर कोयला टर्मिनल के लिए अप्फ्रंट प्रशुल्क नियत करने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23 फरवरी	अप्फ्रंट प्रशुल्क के नियतन के लिए पत्तन का प्रस्ताव, डीबीएफओटी आधार पर टीपीटी ने बल्क कार्गो की सम्हलाई के

<p>2010 को पारित आदेश में थर्मल कोयला और औद्योगिक कोयला के लिए एक समान कॉम्पोसिट सम्हलाई दर निर्धारित किया गया है। जैसे कि अभी प्रस्तावित अन्य बल्क कार्गो आइटमों को विभिन्न निष्पादन स्तर में सम्हाला जाना है, टीपीटी द्वारा प्रस्तावित कॉम्पोसिट सम्हलाई दर और व्यक्तिगत बल्क कार्गो आइटमों के लिए गणन में माने गये निष्पादन फेक्टरों के संबंध में समीक्षा की जाए।</p> <p>अभी प्रस्तावित व्यक्तिगत बल्क कार्गो आइटमों के लिए सम्हलाई दर प्रस्ताव करने के दौरान तटीय कार्गो के लिए लागू शिथिलन प्रशुल्क के प्रभाव पर भी विचार किया जाए। इन बल्क कार्गो आइटमों के संदर्भ में अगर कोई तटीय कार्गो का विचार नहीं किया जाता तो इसे सुस्पष्ट रूप से बताया जाए।</p>	<p>लिए एनसीबी-॥ के लिए पीपीपीएसी द्वारा दिये गये निकासी के संबंध में है। जैसे कि सभी बल्क कार्गो के लिए एक रूप सम्हलाई सुविधा का संचालन है, कार्गो के डेन्सिटी का लिहाजा किए बगैर एम रूप होगा। अतः प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.04.2010 को उसके आदेश के जरिए नियत दरों को विचार किया जाए बशर्ते कि थर्मल कोयले के अलावा बल्क कार्गो को लागू के समान औद्योगिक कोयले के लिए लागू रु 163.05 प्रति एमटी (विदेशी) और रु 97.83 प्रति एमटी (तटीय) के सम्हलाई प्रभारों के लिए दर रीडिफाइन होगा।</p> <p>उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण को देखते हुए व्यक्तिगत बल्क कार्गो आइटमों के लिए अलग सा सम्हलाई दर होने का प्रश्न ही नहीं उठता।</p> <p>यह पुष्ट किया जाता है कि कार्गो की उपलब्धता की जगह के मामले में प्रस्तावित एनसीबी-॥ में सम्हाले जाने वाले पूर्वानुमानित बल्क कार्गो के मामले में कोई भी तटीय कार्गो का होना पूर्वानुमानित नहीं है। फिरभी दिनांक 16.04.2010 के आदेश में शामिल किये गये अनुसार तटीय दरों को अंकित किया जाए।</p>
--	--

**5.3** दिनांक 30 जून 2010 के संपन्न सुनवाई के दौरान, टीपीटी को अपनी समीक्षा (संशोधित) प्रस्ताव को प्रसन्टेशन करने की सलाह दी गई। टीपीटी को उपभोक्ताओं/उपभोक्ता संघठनों और शॉट लिस्टेड बिड्डरों , जो समीक्षा प्रस्ताव द्वारा प्रभावित होंगे को, इस विषय की सुनवाई के दौरान उपस्थित होने और उनको समीक्षा प्रस्ताव की प्रति देने की भी सलाह दी गई।

**6.1** तदनुसार, तूत्तुकुडि पत्तन न्यास परिसर में दिनांक 30 जून 2010 को इस मामले की संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई। टीपीटी ने अपने प्रस्ताव का पावर पाइन्ट प्रसन्टेशन दिया। संयुक्त सुनवाई के दौरान, टीपीटी और संबंधित उपभोक्ताओं/संघठन निकायों उनके प्रस्तुतीकरण दिए।

**6.2** संयुक्त सुनवाई में निर्णय लिए गए अनुसार, मेसर्स स्टरलैट इन्डस्ट्रीस लिमिटेड से तूत्तुकुडि पत्तन न्यास (टीपीटी) में कॉपर कॉन्सन्ट्रेट और रॉक फॉस्फेट के संबंध

में निष्पादन और स्टाकिंग फेक्टर विवरणों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किए गए थे। टीपीटी को मेसर्स स्वरलैट इन्डस्ट्रीस लिमिटेड से प्राप्त सुझावों पर और अगर आवश्यकता पाई गई तो क्षमता गणन की समीक्षा पर विचार करने की सलाह दी गई। टीपीटी से दो सामग्रियों के लिए अपने संचालनों के निष्पादनो को देखने का भी अनुरोध किया गया।

**7.1** संयुक्त सुनवाई में लिए गए निर्णय के जवाब में, टीपीटी ने ,दिनांक 7 जुलाई 2010 के पत्र के जरिए मेसर्स स्वरलैट इन्डस्ट्रीस लिमिटेड (सिल) द्वारा उनके पत्र दिनांकित 30.6.2010 के माध्यम से दिए गए लिखित प्रस्तुतीकरणों को और सिल द्वारा किए गए मुद्दों पर अपनी टप्पणी को भी भेजा।

**7.2** उपर्युक्त के अलावा, टीपीटी ने निम्नलिखित प्रस्तुतीकरण दिए हैं :

- (i) सिल का अनुरोध किसी विशिष्ट कार्गो संमिश्रण पर आधारित नहीं है और अप्फ्रन्ट प्रशुल्क के कार्यक्षेत्र से भी बाहर है जो कि आमरूप में प्रॉजेक्ट के लिए है और किसी उपभोक्ता/डेवलप्पर के लिए विशिष्ट नहीं है। प्रॉजेक्ट के डेवलप्पर/बिडडर को अप्फ्रन्ट प्रशुल्क प्रस्ताव जोकि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अप्फ्रन्ट प्रशुल्क मार्गदर्शनों के आधार पर है, में समझे गये निवेश पर विचार करते हुए विभिन्न अतिरिक्त प्रस्ताव के प्रॉजेक्ट के संगत का मूल्यांकन करना है।
- (ii) पत्तन को खतरनाक एवं जहरीले कार्गो के सुरक्षा स्टाक ऊंचाई के रखरखाव के लिए, पर्यावरण प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित पर्यावरण विनियमों एवं आवश्यकताओं और न्यायालय के निदेशों का पालन करना है। जहरीले सामग्री का प्रकार एवं खुला स्टाकिंग क्षेत्र और पर्यावरण आवश्यकताओं के पालन पर विचार करते हुए, 6.6टन/स्कव0मी0 के स्टाकिंग फेक्टर का रखरखाव करने के कंपनी के अनुरोध को पत्तन द्वारा स्वीकृत नहीं है। पत्तन को थर्मल कोयला के अलावा बल्क कार्गो के लिए 3.5टन/स्कव0मी0 का स्टाकिंग फेक्टर ही स्वीकृत है। प्राधिकारी से इसपर विचार करने और तदनुसार थर्मल कोयला एवं अन्य बल्क कार्गो के लिए अप्फ्रन्ट प्रशुल्क नियत करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करने का अनुरोध किया जाता है।
- (iii) इसपर जोर दिया जाता है कि अद्यतन बर्थ में पत्तन द्वारा प्राप्त सम्हलाई दर 20 टन क्षमता ईएलएल वार्फ केन के आधार पर है। प्रस्तावित टर्मिनल में दो संख्या ग्राब अनलोडर्स का प्रबंध है, जिसकी हरएक की क्षमता 1800 टीपीएच है और रॉक फॉस्फेट एवं कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के लिए 25000 टन प्रति दिन प्राप्त करने की संभावना हो सकती है। पुश्टिकरण के लिए यह भी है कि स्टाकयार्ड में 20

संख्या

फ्रन्ट एन्ड लोडर्स, 3 संख्या स्टाकर्स के परिनियोजन के कारण

के

स्टाकयार्ड से 20000 टन प्रतिदिन इवेक्कुवेट करना संभव हो सकता है। सभी अन्य कार्गो के लिए निष्पादन एक समान है और टर्मिनल इष्टतम क्षमता 6.93 एमटी है ।

8.1

दिनांक: 9, जुलाई, 2010 को फेक्स द्वारा प्राप्त, टीपीटी के दिनांक: 7, जुलाई, 2010 के पत्र के उत्तर में टीपीटी को दिनांक: 13, जुलाई, 2010 के हमारे पत्र के जरिए निम्नलिखित मुद्दों पर रोशनी डाली गयी थी और उसके समीक्षा प्रस्ताव को रीविजिट करने का अनुरोध किया गया था :

- (i) पत्तन ने स्टेरलैट इन्डस्ट्रीस द्वारा उठाए गए मुद्दों से सहमत है कि कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट की डेन्सिटी औद्योगिक कोयले की डेन्सिटी से ऊंचा है। इसके बावजूद, पत्तन ने निष्पादन कायम रखा है और इन दो कार्गो आइटमों के लिए स्टाकिंग फेक्टर औद्योगिक कोयले के समान होगा बिना संबंधित पैरामीटरों का समायोजन किए। फिर भी अगर, इन दो कार्गो आइटमों के लिए ऊंचा स्टाकिंग हाइट प्राप्त करने की रोक पर टीपीटी द्वारा प्रस्तुतीरण प्रस्तुत किया जाता है तो यह मानते हुए कि कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट की डेन्सिटी औद्योगिक कोयले की डेन्सिटी से ऊंचा है, औद्योगिक कोयले के समान उसी क्षेत्र के लिए इन दो कार्गो के लिए टनस/स्कव0मी के ऊंचे स्टाकिंग फेक्टर को प्राप्त किया जा सकता है। उसी सिद्धांत पर, रॉक फॉस्फेट एवं कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के लिए टनों में समहलाई दर भी ऊंचा होगा अगर, ग्रब औद्योगिक कोयले के वॉल्यूम के समान इन कार्गो आइटमों के वॉल्यूम समहलता है।
- (ii) जैसे कि अंतर के दर को भिन्न निष्पादन स्तर के साथ जोड़ते हुए कार्गो आइटमों के लिए निर्धारित किया जाना है, हरएक कार्गो आइटमों के अंश को क्षमता में प्रस्तुत किया जाए।
- (iii) उपर्युक्त अवलोकन को देखते हुए, टीपीटी को स्टाक हाइट, इन दो पदार्थों के लिए समहलाई दर को अलग से कार्गो के अंश के साथ प्रस्तुत करने और इष्टतम क्षमता एवं अप्फ्रन्ट प्रशुल्क की समीक्षा करने के बाद संशोधित गणन को भी प्रस्तुत करने का सलाह दिया गया।

8.2

टीपीटी ने अपना उत्तर दिनांक 14 जुलाई 2010 के पत्र के जरिए दिया। वह सहमत है कि कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट की डेन्सिटी औद्योगिक कोयले की डेन्सिटी से ऊंचा है। फिर भी, कार्गो के जहरीले प्रकार एवं आसपास के समुद्री पर्यावरण के सेन्सिटिविटी पर विचार करते हुए, पत्तन का मत है कि 3.5 टन प्रति स्कव0मी0 के स्टाकिंग फेक्टर को अपनाना ही उचित होगा। फिर भी, प्राधिकरण द्वारा दिए गए सहलाह को देखते हुए पत्तन ने उसके द्वारा प्रस्तुत पहले के प्रस्ताव की समीक्षा की और अब आगे का प्रस्तुतीकरण दिया है। टीपीटी ने दिनांक 15 जुलाई 2010 और 20 जुलाई 2010 के पत्र के

जरिए भंडारण प्रभार तथा बर्थ भाडा प्रभार का निर्धारण करने के लिए वर्किंग शीट प्रस्तुत

किया है। टीपीटी द्वारा उसके पत्र दिनांकित 14 जुलाई 2010, 15 जुलाई 2010 और 20 जुलाई 2010 में दिए गए प्रस्तुतीरणों पर के रोशनी नीचे दिए गए हैं :

(i) पत्तन ने अप्फ्रन्ट प्रशुल्क को निम्नलिखित दो विकल्पों के आधार पर नियत किए जाने का अनुरोध किया है :

(क) बीओटी संचालकों द्वारा सिर्फ थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयले की ही सम्हलाई।

(ख) कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट के साथ साथ थर्मल कोयले की सम्हलाई।

(ii) पत्तन ने इष्टतम क्षमता का वर्किंग और थर्मल कोयला, औद्योगिक कोयला, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट के दूसरे अतिरिक्त कार्गो कॉम्पोसिशन के लिए सम्हलाई प्रभारें प्रस्तुत किया है जो नीचे दिए गए अनुसार है :

(क) पानामेक्स जहाज द्वारा लाए जा रहे 56% का थर्मल कोयला, 7% का औद्योगिक कोयला एवं 22% का कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के अंश पर विचार करते हुए इष्टतम क्वे क्षमता को 8533700 टन प्रति वर्ष तक आंकलन किया गया है ।

(ख) औद्योगिक कोयला, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट लाने वाले पानामेक्स जहाजों के लिए सम्हलाई दर को 25,000 टन प्रति दिन तक विचार किया गया है और मार्गदर्शनों में निर्धारित नॉम्स के अनुसार थर्मल कोयले के लिए 40,000 टन प्रति दिन तक कायम रखा गया है ।

(ग) निम्नलिखित पैरामीटरों पर विचार करते हुए इष्टतम यार्ड क्षमता 7082264 टन प्रति वर्ष आंकलन किया गया है :

\* कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट के लिए तथा फरवरी 2010 के प्रशुल्क आदेश में विचार किए गए अनुसार औद्योगिक कोयला एवं थर्मल कोयला के लिए स्टाकिंग फेक्टर को 6.6 टन प्रति स्कवमी तक विचार किया गया है ।

\* 70000 स्कवमी के कुल स्टाकिंग क्षेत्र को मूल प्रस्ताव के अनुसार कायम रखा गया है और कार्गो वार आबंटन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है अर्थात् थर्मल कोयला के लिए 39200 स्कवमी, औद्योगिक कोयला के लिए

4900 स्कवमी0, रॉक फॉस्फेट के लिए 10500 स्कवमी0 और कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के लिए 15400 स्कवमी0 ।

- \* कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट के लिए प्लॉट का टर्न ओवर 14 तक विचार किया गया है। थर्मल कोयला, औद्योगिक कोयला के लिए फरवरी 2010 के प्रशुल्क आदेश में विचार किए गए अनुसार इस फेक्टर को 28 पर कायम रखा गया है ।
- \* उपर्युक्त संशोधनों के कारण, चार कार्गो आइटमों की सम्वहलाई के लिए टर्मिनल की इष्टतम यार्ड क्षमता को 7.08 एम टी प्रति वर्ष तक विचार किया गया है जो कि क्वे एवं यार्ड क्षमताओं से कम है।

(घ) पत्तन ने इष्टतम कार्गो क्षमता एवं कार्गो वर्किंग दिनों के आधार पर अंतर के सम्वहलाई दर को वर्क आउट किया है। थर्मल कोयले से संबंधित संपूर्ण क्षमता को तटीय कार्गो के रूप में माना गया है और अन्य कार्गो को विदेशी के रूप में माना गया।

(ड.) टीपीटी द्वारा 7.08 मिलियन टन की इष्टतम क्षमता, 5.07 मिलियन टन का थर्मल कोयला, 0.33 टन एमटी का औद्योगिक कोयला, 1.0 एमटी का कॉपर कॉन्सन्ट्रेट और 0.68 एमटी का रॉक फॉस्फेट की सम्वहलाई के संशोधित गणन में दरें प्रस्तुत कीं हैं जो नीचे तालिका में दिया गया है :

कार्गो	रूपया प्रति टन में दर	
	विदेशी	तटीय
थर्मल कोयला	—	136.87
औद्योगिक कोयला	211.36	126.82
कॉपर कॉन्सन्ट्रेट	219.46	131.68
रॉक फॉस्फेट	217.27	130.36

(iii) पत्तन ने दिनांक 15 जुलाई 2010 के ई-मेल के जरिए भण्डारण प्रभार के निर्धारण के लिए गणन प्रस्तुत किया है। उक्त गणन में, उसने

हरेक कार्गो के लिए आबंटन किये जाने का प्रस्तावित क्षेत्र के लिए टनेज़, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट का इवेक्कुवेशन जिसे 4800 टन प्रतिदिन के रूप में माना गया और उक्त दो कार्गो आइटमों के लिए प्लॉट टर्नओवर 15 एवं 13.32 पर विचार किया है। प्लॉट के एक टर्नओवर के लिए दिनों की संख्या अनुमानतः कार्गो वार – कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के लिए 24, रॉक फॉस्फेट के लिए 27, और थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयला के लिए हर एक को 11 दिन है। पत्तन द्वारा प्रस्तुत गणन के आधार पर, रु 114.86 लाख के राजस्व आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए कि 10 दिन की फ्री अवधि के बाद तीन स्लाबों के लिए भंडारण प्रभारें नीचे दिये गये अनुसार हैं :-

	(रु प्रति टन प्रतिदिन में दर)	
फ्री अवधि के बाद पहला छः दिन	-	1.14
अगला छः दिन	-	1.84
उसके बाद	-	3.59

- (iv) पत्तन ने दिनांक 20 जुलाई 2010 के फेक्स के जरिए सम्मिश्रण में कार्गो के अतिरिक्त सम्हलाई के लिए 7.08 मिलियन टन प्रति वर्ष की इष्टतम क्षमता के लिए बर्थ किराया का गणन भी प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित बर्थ किराया, विदेश जानेवाले जहाजों के लिए रु 0.4318 प्रति जीआरटी प्रतिघंटा और तटीय जहाज के लिए 0.2591 जीआरटी है।

**8.3** पत्तन ने फिर एक बार जोर दिया कि उपर्युक्त दो हर एक अतिरिक्तों के लिए दरें नियत किया गया है जैसे कि थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयला के लिए पहले अतिरिक्त में नियत किये गये दर को दूसरे अतिरिक्त में अपनाया नहीं जा सकता जो कि चार पदार्थों की सम्हलाई के लिए समझा गया है और दिन कार्गो अंश सम्मिश्रण रखता है।

**9.** इस मामले में परामर्श से संबंधित कार्यवाही रिकार्ड में इस प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध है। एक विशेषज्ञ से प्राप्त टिप्पणी और संबंधित पार्टियों द्वारा किये गये विवादों को, संबंधित पार्टियों को अलग रूप से भेजे जाएंगे। इन विवरणों को हमारे वेब-साइट एचटीटीपी://टारिफअथॉरिटी.गव.इन पर भी उपलब्ध किये गये हैं।

**10.** कोयला टर्मिनल के लिए अप्फ्रन्ट प्रशुल्क के लिए टीपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में इकट्ठी की गयी सूचना के आधार पर, निम्नलिखित स्थितियाँ उभरी :-

- (i) जून 2010 में, प्रस्तुत मूल समीक्षा प्रस्ताव में टीपीटी द्वारा दिये गये प्रमुख प्रस्तुतीकरण को थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयला के लिए इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अप्फ्रन्ट प्रशुल्क केप को अन्य बल्क कार्गो, जैसे कि कॉपर कॉन्सन्ट्रेट, रॉक फॉस्फेट एवं उर्वरक, जिसे एक जैसे सुविधाओं के साथ सम्हाला जाता है, के लिए बढ़ाया गया।

पत्तन ने प्रस्तावित कार्गो के रेन्ज में शामिल किये जाने में फिनिशड उर्वरक को शामिल न करने का प्रस्ताव किया है। पहले के आदेश में बताये गये 35% तक अनुमानित औद्योगिक कोयले के अंश में अन्य कार्गो भी शामिल होता है और इस कल्पना में कि औद्योगिक कोयला के लिए लागू सभी पैरामीटरों जैसे कि सम्हलाई दर, भंडारण फेक्टर एवं इवेक्कुवेशन कॉपर कॉन्सन्ट्रेट, एवं रॉक फॉस्फेट के लिए अच्छा साबित होगा। पत्तन ने औद्योगिक कोयला के लिए निर्धारित दर को अन्य दो बल्क कार्गो आइटमों के लिए बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया था। उसके बाद हमारे द्वारा, रॉक फॉस्फेट एवं औद्योगिक कोयला के डेन्सिटी के अंतर को पूर्णतया मानते हुए क्षमता का पुनर्वालोकन और शामिल किये जाने के प्रस्तावित कार्गो के संदर्भ में हर एक पैरामीटरों के लिए यथोचित प्रस्तुत करने हेतु जोर देने पर, पत्तन ने दिनांक 14 जुलाई 2010 को एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस मामले की कार्यवाही के दौरान तूत्तुकुडि पत्तन से प्राप्त दिनांक 14 जुलाई 2010 का संशोधित प्रस्ताव एवं अन्य सूचना तथा स्पष्टीकरणों को विश्लेषण करने के लिए विचार किया गया। संशोधित समीक्षा प्रस्ताव में पत्तन ने दो अतिरिक्तों के अधीन अलग दरें निर्धारित करने का सुझाव दिया—अर्थात् (i) सिर्फ थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयला की सम्हलाई और (ii) अगर थर्मल कोयला, औद्योगिक कोयला, रॉक फॉस्फेट और कॉपर कॉन्सन्ट्रेट का सम्मिश्रण की सम्हलाई करना। पत्तन द्वारा यह प्रस्तुत है कि पीपीपीएसी ने बल्क कार्गो की सम्हलाई के लिए टीपीटी पर एनसीडी-।। की अनुमति दी है।

टीपीटी के समीक्षा प्रस्ताव की कार्यवाही शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि महा पत्तनों में पीपीपी प्रॉजेक्टों के लिए नियत अप्फ्रन्ट प्रशुल्क के लिए फरवरी 2008 के मार्गदर्शनों के खंड 2.2 को ध्यान में रखा जाए। निर्धारित प्रशुल्क केप्स सभी टर्मिनलों को जो कि एक जैसे वाले पदार्थ/सेवा की सम्हलाई करने के लिए अगले पाँच वर्षों में पत्तन में बिड आउट होता है, को लागू होंगे। अपनायी जानेवाली समीक्षा पत्तन के किसी विशेष प्रॉजेक्ट के संदर्भ में अप्फ्रन्ट प्रशुल्क निर्धारण नहीं है और पत्तन द्वारा सही कहे गये अनुसार किसी भी उपभोक्ता/डेवलप्पर के संदर्भ में विशेष रूप से नहीं है।

- (ii) यह ध्यान दिया जाना है कि दिनांक 23 फरवरी 2010 के पिछले आदेश की समीक्षा, उक्त आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटी को परिशोधन करने के लिए नहीं की गयी अपितु पत्तन द्वारा अतिरिक्त प्रशुल्क मांगा जाना अगर कार्गो प्रस्ताव के स्कोप के पुनर्वलोकन करने की दृष्टि में सम्मिश्रण रूप से सम्हाला जाता है, पर के विषय में है। दिनांक 23 फरवरी 2010 का आदेश, पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार, जिसे सिर्फ कोयले की सम्हलाई के लिए सृजित किये जानेवाले सुविधाओं में सम्हाले जाने हेतु समझे गये व्यवहारियता रिपोर्ट द्वारा सम्मति दी गयी, कोयला सम्हलाई टर्मिनल के लिए अप्फ्रन्ट

प्रशुल्क निर्धारित करता है। पत्तन द्वारा माने जाने संचालन के संशोधित स्कोप कोयले के अलावा रॉक फॉस्फेट और कॉपर कॉन्सन्ट्रेट की सम्हलाई को भी लेता है। यह माना जाना चाहिए कि 2008 के अप्फ्रन्ट प्रशुल्क मार्गदर्शनों रॉक फॉस्फेट एवं कोयला कॉन्सन्ट्रेट की यांत्रिकिकरण सम्हलाई के लिए या सम्मिश्रण में यांत्रिकिकरण कार्गो सम्हलाई के लिए किसी भी प्रकार विशेष रूप से नॉम्स स्पष्ट रूप से निर्धारण करता है। पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत व्यवहारियता रिपोर्ट, रॉक फॉस्फेट और कॉपर कॉन्सन्ट्रेट की सम्हलाई को भी नहीं लेता और अतः संचालन के संशोधित स्कोप की ओर कोई तकनीकी एवं संचालनीय विशिष्टता उपलब्ध नहीं है। रॉक फॉस्फेट और कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के अध्ययन रूप की अर्ध-यांत्रिक सम्हलाई समझे गये पूर्णतया यांत्रिकृत सुविधाओं में अनुमानित निष्पादन पैरामीटरों पर कोई भी रोशनी नहीं डालेगा। इस पृष्ठभूमि में इस प्राधिकरण के पास किसी भी प्रकार का अन्य विकल्प नहीं है मात्र पत्तन द्वारा प्रस्तुत तकनीकी एवं संचालनीय विवरणों पर भरोसा करें। संपूर्ण विश्लेषण, इन दो कार्गो आइटमों के लिए टीपीटी द्वारा अपनाये गये निम्नलिखित पैरामीटरों पर विश्वास करते हुए किया गया है:

- (क) औद्योगिक कोयले के समतुल्य पर क्वे क्षमता के गणन में, रॉक फॉस्फेट एवं औद्योगिक कोयले के लिए सम्हलाई दर 25,000 टन प्रतिदिन के रूप में माना गया है, फिरभी पत्तन का मानना है कि इन दो कार्गो आइटमों की डेन्सिटी औद्योगिक कोयले से अधिक है।
- (ख) रॉक फॉस्फेट और कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के लिए माना गया 6.6 टन प्रति स्कव0 मी0 का स्टॉक ऊँचाई इसपर आधारित है कि इन दो कार्गो आइटमों के लिए मार्गदर्शनों में निर्धारित किसी विशेष नॉम्स का न होना है।

- (iii) तथ्यात्मक टिप्पणी में कहे गये अनुसार, पहले अतिरिक्त में पत्तन सिर्फ थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयले की ही सम्हलाई करेगा। थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयला का अप्फ्रन्ट प्रशुल्क इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2010 के आदेश सं टेम्प/27/2009-टीपीटी के जरिए पहले से ही अनुमोदित किया गया है। इन दो कार्गो की सम्हलाई के संदर्भ में, पत्तन ने उक्त आदेश में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का सुझाव नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में 23 फरवरी 2010 के प्रशुल्क आदेश में अनुमोदित अप्फ्रन्ट प्रशुल्क निर्धारित सम्मिश्रण में थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयले की सम्हलाई के लिए लागू होंगे।

दूसरे अतिरिक्त में पत्तन ने, अलग सा सीलिंग दरों का निर्धारण करने का प्रस्ताव किया है अगर कोयला एवं अन्य बल्क कार्गो अर्थात

टर्मिनल पर रॉक फॉस्फेट और कॉपर कॉन्सन्ट्रेट की सम्हलाई सम्मिश्रण में होती है। इस प्राधिकरण के समक्ष शक्ति-प्रयोग पत्तन द्वारा प्रस्तावित दूसरे अतिरिक्त के लिए अलग से अप्फ्रन्ट प्रशुल्क के निर्धारण तक सीमित है। अर्थात् थर्मल कोयला तथा औद्योगिक कोयला, रॉक फॉस्फेट और कॉपर कॉन्सन्ट्रेट की सम्हलाई के लिए।

(iv) पत्तन ने, संशोधित प्रस्ताव में संकेत किया है कि पानामेक्स जहाजों द्वारा लानेवाले अंश थर्मल कोयला के लिए 56% , औद्योगिक कोयला के लिए 7% , रॉक फॉस्फेट के लिए 15% , और कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के लिए 22% है। पत्तन ने, इस संबंध में विशिष्ट प्रश्न उठाये जाने के बावजूद इष्टतम क्वे क्षमता गणन में कार्गो सम्मिश्रण के प्रस्तावित अंश के लिए अपनाये जानेवाले आधार को स्पष्ट नहीं किया है। पत्तन द्वारा प्रस्तुत कार्गो क्षमता के अंश पर विश्वास किया जाता।

(v) पहले उक्त किये गये अनुसार, टीपीटी ने औद्योगिक कोयले के समतुल्य पर रॉक फॉस्फेट और कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के लिए 25,000 टन प्रतिदिन पर के सम्हलाई दर का विचार किया है। वर्ष 2008 का अप्फ्रन्ट प्रशुल्क मार्गदर्शन रॉक फॉस्फेट और कॉपर कॉन्सन्ट्रेट की यांत्रिकृत सम्हलाई के लिए कोई भी सम्हलाई नॉम्स निर्धारण नहीं करता। टीपीटी द्वारा भी कबूल किये गये अनुसार उसके पत्तन द्वारा उसके खुद के बर्थ पर रिपोर्टेड अन्य बल्क कार्गो के लिए औसत निष्पादन तात्कालिक मामले से संबधित नहीं है, जैसे कि दो अन्लोडरों एवं कन्चेयरो के साथ टर्मिनल में माने गये यांत्रिकृत सुविधाओं को, वार्फ क्रेन के साथ अद्यतन बर्थ पर अर्धयांत्रिकृत सम्हलाई के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। स्टेरलैट इन्डस्ट्रीस लिमिटेड जो कि कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के एक प्रमुख उपभोक्ता है, ने विशेष रूप में अनुरोध किये जाने के बावजूद भी इन दो कार्गो आइटमों के लिए निष्पादन फेक्टर प्रस्तुत नहीं किया है।

जैसे कि पत्तन सहमत है कि रॉक फॉस्फेट और कॉपर कॉन्सन्ट्रेट की औसत डेन्सिटी औद्योगिक कोयले की औसत डेन्सिटी से अधिक है, फिर एक बार सलाह दिया गया कि इन दो कार्गो आइटमों की सम्हलाई की समीक्षा की जाए, यह सोचते हुए कि टनों में रॉक फॉस्फेट और कॉपर कॉन्सन्ट्रेट का सम्हलाई दर अधिक होगा, इसके बावजूद कि अगर ग्राब, औद्योगिक कोयले की तुलना में इन कार्गो आइटमों का समान वॉल्यूम, होल्ड करता है। पत्तन ने संशोधित प्रस्ताव में कायम रखा है कि इन दो कार्गो आइटमों के लिए निष्पादन औद्योगिक कोयले के निष्पादन के समान होगा, कार्गो की डेन्सिटी का लिहाजा किये बगैर जैसे कि सम्हलाई सुविधा एक समान है। रॉक फॉस्फेट और कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के लिए सम्हलाई दर के संबंध में जो कि 25,000 टन प्रतिदिन पर समझा गया है पर यह प्राधिकरण टीपीटी

के इस सुविज्ञ अभिमत पर विश्वास करता है। थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयला के लिए सम्वहलाई दर को फरवरी 2010 के प्रशुल्क आदेश में विचार किये गये अनुसार, कायम रखा गया है। तदनुसार, टर्मिनल की इष्टतम क्वे क्षमता को 8533700 टन प्रतिवर्ष अर्थात् 8.53 मिलियन टन प्रतिवर्ष पर आंकलन किया गया है। पत्तन द्वारा आंकलन किया गया इष्टतम क्वे क्षमता का कार्गो-वार अंश थर्मल कोयला का 5723200 टन, औद्योगिक कोयला का 447125 टन, रॉक फॉस्फेट का 958125 टन और कॉपर कॉन्सन्ट्रेट का 1405250 टन है।

(vi) (क) पिछले प्रस्ताव में विचार किये गये अनुसार 70,000 स्कव0 मी0 के कुल स्टाकिंग क्षेत्र को कायम रखा गया है और इष्टतम यार्ड क्षमता का निर्धारण करने के लिए कार्गो-वार आबंटन करने का प्रस्ताव किया गया है, अर्थात् थर्मल कोयला के लिए 39200 स्कव0 मी0, औद्योगिक कोयला के लिए 4900 स्कव0 मी0, रॉक फॉस्फेट के लिए 10,500 स्कव0 मी0 और कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के लिए 15,400 स्कव0 मी0।

(ख) यह बताते हुए कि रॉक फॉस्फेट और कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के लिए स्टाक ऊँचाई औद्योगिक कोयले के लिए समझे गये स्तर से ज्यादा हो सकता है, स्टेलेट इन्डस्ट्रीस लिमिटेड ने, थर्मल कोयला के समतुल्य कॉपर कॉन्सन्ट्रेट और रॉक फॉस्फेट के लिए 6.6 टन प्रति स्कव0 मी0 की स्टाक ऊँचाई को अपनाने का सुझाव दिया है, क्योंकि इन कार्गो की वेइटेड औसत डेन्सिटी थर्मल कोयले के समान है।

पत्तन ने, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट के प्रकार और आस पास के समुद्री पर्यावरण की सेन्सिटिविटी को देखते हुए जिसका सुरक्षित स्टाक ऊँचाई को पर्यावरण प्राधिकरणों के विनियम के साथ पालन करते हुए सृजित किये जाने वाले नयी सुविधाओं पर कायम रखा जाना है, 3.5 टन प्रति स्कव0 मी0 के स्टाकिंग फेक्टर को विचार करने का अनुरोध आरंभ में किया था। पत्तन ने बल्क कार्गो के लिए 7.5 टन प्रति स्कव0 मी0 की औसत स्टाकिंग ऊँचाई प्राप्त किये जाने की रिपोर्ट दी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पत्तन द्वारा प्राप्त इस स्टाकिंग फेक्टर, ट्रान्सिट क्षेत्र में सीमित खुली जगह एवं ब्रेक वॉटर पेरापेट वॉल द्वारा सुरक्षित स्टाक यार्ड और वातल अवधि के दौरान कार्गो के उडने को ध्यान में रखते हुए यह पूर्णयता प्रतिबंधित है। इसे सृजित किये जाने वाली नयी सुविधाओं के लिए, जिसके लिए इस प्रकार का प्रबंध होना नहीं माना गया और तो और यह पर्यावरण प्राधिकरणों के विनियम के अनुरूप है,

लागू नहीं होगा।

टीपीटी द्वारा, स्टाकिंग की ऊँचाई को प्रभाव करनेवाले वायु फेक्टर के बारे में स्पष्ट की गयी स्थिति प्रशंसनीय है, पर हमारे द्वारा उठाये गये मुद्दों से पूर्णतया संबंधित नहीं पाया गया। स्टाकिंग की ऊँचाई को मीटरों में मापन किया गया है जो कि स्टाकिंग फेक्टर, जो टनों में कार्गो को दर्शाता है और जिसे प्रति स्कव0 मी0 में स्टाक किया जा सकता है, से भिन्न है। पत्तन द्वारा भी माने गये अनुसार कि कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट की डेन्सिटी औद्योगिक कोयले से अधिक होती है, अनुज्ञेय स्टाकिंग की ऊँचाई को कायम रखते हुए टन प्रति स्कव0 मी0 में उच्च मात्रा में स्टाक किया जा सकता। टीपीटी को जब यह बताया गया, उसने बाद में अपने पिछले स्टान्ड की समीक्षा की और कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट के लिए 6.6 टन प्रति स्कव0 मी0 के स्टाकिंग फेक्टर का विचार किया जो इष्टतम यार्ड क्षमता के आंकलन के लिए पर आधारित है।

टीपीटी द्वारा, थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयला के लिए 28 के टर्नओवर फेक्टर के मुकाबले दो आइटमों के लिए टर्नओवर फेक्टर को 14 पर विचार किया है। पत्तन द्वारा प्रस्तुत भंडारण गणन में कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के लिए वार्षिक टर्नआवेर को 15 पर और रॉक फॉस्फेट के लिए 13 पर माना है जो कि इन दो कार्गो आइटमों के लिए 48,00 टन प्रतिदिन पर दैनिक इवेक्कुवेशन पर आधारित है।

यह उल्लेखनीय है कि थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयला के लिए, पत्तन द्वारा मूल प्रस्ताव में समझे गये टर्नओवर 28 का जिसे 23 फरवरी 2010 के प्रशुल्क आदेश में विचार किया गया था। पत्तन द्वारा, 25 जून 2010 को प्रस्तुत समीक्षा प्रस्ताव में भी, पत्तन ने सभी पदार्थों के लिए जिसमें कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट शामिल है, टर्नओवर को 28 पर कायम रखा है, प्लॉट टर्नओवर इवेक्कुवेशन पर आधारित है और कार्गो की डेन्सिटी से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रख सकता। पत्तन द्वारा इन दो कार्गो आइटमों के लिए विशेषतः टर्नओवर रेशियो को 14 तक कम करने के लिए कोई भी औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया। यह उल्लेखनीय है कि पत्तन द्वारा आंकलित इष्टतम क्वे क्षमता के बीच का अंतर 8.53 मिलियन टन है और पत्तन द्वारा आंकलित इष्टतम यार्ड क्षमता का अंतर 7.08 मिलियन टन है। पत्तन द्वारा, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट के लिए निम्न स्तर पर

टर्नओवर को माने जाने के लिए किसी भी प्रकार का औचित्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण, थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयला के लिए विचार किये गये अनुसार इस फेक्टर को 28 पर रखा गया। इससे इष्टतम क्वे एवं इष्टतम यार्ड क्षमताओं के बीच के अंतर को कम होगा। पत्तन के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि टर्मिनल से कार्गो को निकासी करने के लिए इवेक्कुवेशन सुविधाओं का विकास किया जाता है।

टीपीटी द्वारा, समझे गये सभी पैरामीटरों का पालन करते हुए बशर्ते कि दो कार्गो आइटमों के लिए टर्नओवर फेक्टर में संशोधन होता है, इष्टतम यार्ड क्षमता 8.76 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक वर्कआउट होता है। पत्तन द्वारा, आंकलित कार्गो-वार इष्टतम यार्ड क्षमता, थर्मल कोयला के लिए 5070912 टन, औद्योगिक कोयला के लिए 336140 टन, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के लिए 1992144 टन एवं रॉक फॉस्फेट के लिए 1358280 टन है।

(vii) अप्फ्रन्ट प्रशुल्क मार्गदर्शनों के अनुसार, इष्टतम क्वे या इष्टतम यार्ड क्षमता के निम्नतम को, अप्फ्रन्ट प्रशुल्क के निर्धारण के लिए टर्मिनल की इष्टतम क्षमता के रूप में विचार किया जा सकता। इस मामले में, अगर औसत स्तर पर देखा जायें तो, इष्टतम क्वे क्षमता को इष्टतम यार्ड क्षमता से न्यूनतम पाया गया। इस मामले में पत्तन ने कार्गो-वार इष्टतम क्वे और इष्टतम यार्ड क्षमता भी प्रस्तुत किया गया है जिसे हमारे विश्लेषण में कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट के लिए टर्नओवर फेक्टर के संदर्भ में, संशोधित किया गया है। निर्धारित कार्गो-वार क्षमताएँ बताती हैं कि थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयला के लिए इष्टतम क्वे क्षमता से इष्टतम यार्ड क्षमता निम्न है जब कि कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट के लिए इष्टतम यार्ड क्षमता से इष्टतम क्वे क्षमता निम्न है। अतः हर एक कार्गो आइटमों के लिए दोनों क्षमताओं के न्यूनतम को विचार किया गया है, अर्थात् थर्मल कोयले का 5070912 टन औद्योगिक कोयला का 336140 टन, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट का 1405250 टन एवं रॉक फॉस्फेट के लिए 958125 टन। तदनुसार टर्मिनल की इष्टतम क्षमता 7770427 टन प्रतिवर्ष है जिसे कोयले के कार्गो की सम्वहलाई के लिए, रॉक फॉस्फेट एवं कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के सम्मिश्रण सहित अप्फ्रन्ट प्रशुल्क नियत करने के लिए विचार किया गया है।

(viii) पहले के आदेश में विचार किये गये पूँजी लागत में कोई भी संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है, जैसे कि कोयले की सम्वहलाई के लिए संबंधित सुविधाएँ ही रॉक फॉस्फेट एवं कॉपर कॉन्सन्ट्रेट की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

(ix) पहले के आदेश में विचार की गई कार्गो सम्हलाई गतिविधि के लिए संचालन लागत में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा सिवाय पॉवर लागत के जिसे अब 7.77 मिलीयन टनों की इष्टतम क्षमता के संदर्भ के साथ आंकलित किया जाता है। परिणामस्वरूप, संचालन लागत को ₹ 6777.48 लाख पर और वार्षिक राजस्व आवश्यकता को ₹ 11604.52 लाख पर आंकलित है। मार्गदर्शनों के अनुसार, आवश्यक कुल राजस्व का 98% को सम्हलाई प्रभार के लिए अलग कर दिया गया है और प्री-डीटर्मिन्ड प्रशुल्क को लाने के लिए हर एक भंडारण प्रभार एवं विविध प्रभार के लिए 1% को रखा गया है। तदनुसार, सम्हलाई प्रभार को अलग किया गया आंकलित संशोधित राजस्व आवश्यकता ₹ 11372.42 लाख (टीपीटी द्वारा आंकलित ₹ 11312.56 लाख के मुकाबले), भंडारण प्रभारों से ₹ 116.05 लाख (टीपीटी द्वारा आंकलित ₹ 114.86 लाख के मुकाबले) और विविध प्रभारों से ₹ 116.05 लाख।

फरवरी 2010, के प्रशुल्क आदेश में बर्थ किराय प्रभार से निर्धारित ₹ 648.74 लाख के वार्षिक राजस्व आवश्यकता ने किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं है।

पत्तन ने, दिनांक 14 जुलाई 2010 के उसके पत्र के जरिए प्रस्तुत संशोधित गणन में अप्फ्रन्ट प्रशुल्क के लिए अनुमोदन मांगने के दौरान परिचालन लागत वार्षिक राजस्व आवश्यकता इत्यादि के लिए कोई भी विस्तृत गणन प्रस्तुत नहीं किया। पत्तन द्वारा कार्गो-वार सम्मिश्रित सम्हलाई प्रभार के गणन में अंकित संशोधित वार्षिक राजस्व आवश्यकता के आधार पर पॉवर लागत का आंकलन एवं अन्य मदों को बहिर्वेशनित किया गया है जो लागत विवरण में पत्तन प्राक्कलनों को दर्शाता है। संशोधित लागत विवरण अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्नित है।

(x) अप्फ्रन्ट प्रशुल्क मार्गदर्शन, कोयले के विभिन्न वर्गों के लिए अलग से दरों को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं देता। अतः फरवरी 2010 के प्रशुल्क आदेश में दोनों थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयला के लिए एक रूप अप्फ्रन्ट सम्हलाई दर निर्धारित किया गया, चूंकि ये दोनों कार्गो कोयला वर्ग के अधीन आता है। यह विशाखापट्टनम पत्तन न्यास और मुरगाँव पत्तन न्यास में ही कोयला टर्मिनल के लिए निर्धारित अप्फ्रन्ट प्रशुल्क का पालन करते हुए किया गया है। 23 फरवरी 2010 के प्रशुल्क आदेश में निर्धारित अप्फ्रन्ट प्रशुल्क संचालक द्वारा सम्हाले गये कोयला कार्गो के इन दो वर्गों को ही लागू होगा।

टीपीटी द्वारा अभी समझे गये दूसरे अतिरिक्त में जिसके लिए चालू

समीक्षा की गयी है, दो बल्क कार्गो अर्थात् कार्गो के प्रकार के द्वारा देखे गये कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट, जो कोयला नहीं है और अगर चाहे इनकी सम्हलाई दर एक रूप में होती भी है तो भी कोयला कार्गो के साथ इन्हें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अतः इन दो कार्गो आइटमों के लिए, कोयला कार्गो के साथ सम्मिश्रण में सम्हाले जाने के लिए एक रूप सम्हलाई दर को निर्धारित करना उचित नहीं है। संबंधित कार्गो के निष्पादन दर के साथ जोड़ते हुए हर एक कार्गो आइटमों के लिए भिन्न-भिन्न सम्हलाई दर का निर्धारण किए जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करते समय, औद्योगिक कोयला के लिए दर को, फरवरी 2010, के प्रशुल्क आदेश में विचार किए गए अनुसार कोयला टर्मिनल से सबसे अलग समझे गए कार्गो मिश्रण के रूप में निष्पादन दर के आधार पर निर्धारित किए जाने की भी आवश्यकता है। टीपीटी ने संशोधित प्रस्ताव में, पत्तन द्वारा आंकलित कार्गो-वार इष्टतम क्षमता और सम्हलाई दर के संदर्भ में अपेक्षित कार्गो कार्यदिवसों का विचार करते हुए पदार्थ-वार प्रशुल्क केप प्रस्तुत किया है। टीपीटी द्वारा प्रस्तुत गणन, गणन में विचार किए गए संशोधित कार्गो-वार इष्टतम क्षमता के संदर्भ में संशोधित किया है।

पत्तन, संपूर्ण थर्मल कोयला को तटीय वर्ग होने के रूप में समझता है। इस संबंध में, सरकारी नीति में थर्मल कोयला के लिए तटीय शिथिलन को होना नहीं माना गया है। टीपीटी ने पुष्टि की है कि औद्योगिक कोयला, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट विदेशी कार्गो होगा। तटीय कार्गो/जहाज को शिथिलन दर को निर्धारण करने से रेवन्यू रियलैजेशन पर कोई प्रभाव नहीं पडने वाला है, इस संबंध में, सरकारी नीति के अनुसार योग्य तटीय कार्गो के लिए शिथिलन दर का निर्धारण किया गया है। तदनुसार, सम्मिश्रित सम्हलाई दर, थर्मल कोयला के लिए रु 121.11 और औद्योगिक कोयला, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट के लिए रु 193.78 प्रति टन निर्धारित किया गया है। गणन का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-।। के रूप में संलग्नित है।

- (xi) टीपीटी ने, फ्री अवधि के बाद स्लाब-वार भंडारण प्रभार के निर्धारण के लिए गणन प्रस्तुत किया है। उक्त गणन में टीपीटी ने यह माना है कि 4800 टन प्रतिदिन के इवेक्कुवेशन के आधार पर कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट का टर्नओवर क्रमशः 15 एवं 13.32 है। पहले के पैराग्राफ में बताये गये कारणों के लिए टीपीटी द्वारा प्रस्तावित पैरामीटर विश्लेषण में पूर्णतया आधारित नहीं है। भंडारण प्रभार के निर्धारण के लिए फ्री अवधि के बाद भंडारण प्रभार आकर्षित करने की संभाव्य कार्गो क्षमता को, 23 फरवरी 2010 के प्रशुल्क आदेश में विचार किये गये अनुसार 14.3% पर समझा गया है। संशोधित राजस्व आवश्यकता और फ्री अवधि के बाद भंडारण प्रभार आकर्षक करने के संभाव्य कार्गो क्षमता का विचार करते हुए, पहले छे दिन के लिए भंडारण प्रभार रु 1.74 प्रति टन प्रतिदिन, अगले छे दिन के लिए रु 2.82 प्रति टन

प्रतिदिन और अंतिम स्लाब के लिए रु 5.50 प्रति टन प्रतिदिन है, तथा फरवरी 2010 के प्रशुल्क आदेश में विचार किये गये अनुसार दरों के अंतरों को बर्करार रखा गया है।

- (xii) संशोधित राजस्व आवश्यकता के आधार पर, विविध सेवाओं के लिए प्रशुल्क केप रु 1.49 प्रति टन निर्धारित किया गया है।
- (xiii) फरवरी 2010 के प्रशुल्क आदेश में बर्थ किराया सेवा के लिए निर्धारित वार्षिक राजस्व आवश्यकता में कोई संशोधन नहीं है। टीपीटी ने, कार्गो के सम्हलाई की दूसरी अतिरिक्त के लिए आंकलित संशोधित इष्टतम क्षमता के लिए बर्थ हायर वर्किंग प्रस्तुत किया है। कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट के लिए जीआरटी, जहाज़ के पार्सल साइज़ एवं सम्हलाई दर, बर्थ किराया प्रभार के निर्धारण में औद्योगिक कोयले के समतुल्य माने गये हैं। थर्मल कोयला ढोनेवाले तटीय जहाज़ों को लागू शिथिलन दर के प्रभाव का विचार किया गया है। टीपीटी द्वारा, अन्य महा पत्तन न्यासों ने अप्फ्रन्ट बर्थ किराया के निर्धारण के दौरान अनुसरण किये जानेवाले उपगमन के अनुसार उपगमन मार्ग का पालन किया गया है।

जहाज़ों की संख्या और जीआरटी घंटों में आगे के संशोधन के साथ संशोधित इष्टतम क्षमता को लेखे में लेते हुए, विदेश जानेवाले जहाज़ों के लिए अप्फ्रन्ट बर्थ किराया को रु 0.3672 प्रति जीआरटी प्रति घंटा और तटीय जहाज़ के लिए रु 0.2203 प्रति जीआरटी प्रति घंटा वर्कआउट किया गया है। बर्थ किराया का विस्तृत परिकलन अनुलग्नक-III के रूप में प्रस्तुत है।

- (xiv) टीपीटी ने, कोयला कार्गो की सम्हलाई अर्थात् थर्मल कोयला, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट के सम्मिश्रण में औद्योगिक कोयला, के लिए अलग सा अप्फ्रन्ट प्रशुल्क नियत करने का अनुरोध किया है, जैसे कि टर्मिनल की इष्टतम क्षमता और अतिरिक्त दो के अधीन अभी विचारार्थ कार्गो का अंश, डेडीकेटेड कोयला टर्मिनल के लिए फरवरी 2010 के प्रशुल्क आदेश में निर्धारित अप्फ्रन्ट प्रशुल्क में विचार किये गये पैरामीटरों से अलग है, कोयला कार्गो को अन्य बल्क कार्गो के सम्मिश्रण में सम्हलाई करने के लिए अप्फ्रन्ट प्रशुल्क अनुसूची को अलग रूप में निर्धारित करने की आवश्यकता है और जरूरत है। भरपूर सावधानी के रूप में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में अनुमोदित अप्फ्रन्ट प्रशुल्क अनुसूची सिर्फ तभी लागू होंगे कि अगर टर्मिनल, इस अतिरिक्त में समझे गये अनुसार कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट के सम्मिश्रण में थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयले की सम्हलाई करता है। अगर टर्मिनल सिर्फ थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयले की सम्हलाई करता है तो, आदेश सं टेम्प/27/2009-टीपीटी दिनांकित 23 फरवरी 2010 में निर्धारित

अपफ्रन्ट प्रशुल्क व्यवस्था लागू होंगे।

(xv) कोयला टर्मिनल के लिए अपफ्रन्ट प्रशुल्क अनुसूची में निर्धारित अपफ्रन्ट प्रशुल्क में वार्षिक तालिका से संबंधित परिभाषाएँ/सामान्य शर्तों एवं उपबंध तथा प्रावधानों को समाविष्ट किया गया है।

(xvi) अगर, टर्मिनल के वास्तविक संचालनों के समय इस मामले में या 23 फरवरी 2010 के प्रशुल्क आदेश में अपनाये गये किसी भी पैरामीटरों में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है, जिससे अनुमोदित अपफ्रन्ट प्रशुल्क पर प्रभाव पड़ता है, तब टीपीटी को मामले की अभी की स्थिति पर नियत अपफ्रन्ट प्रशुल्क को रीसेटिंग करने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा और शिथिलन समझौता में इस प्रभाव से उपयुक्त खंड को भी समाविष्ट करना होगा।

**11.1** वाणिज्य संचालनों की शुरुआत से पहले मार्गदर्शनों के खंड 2.9.1 एवं 2.9.2 में निहितानुसार, निजी संचालकों को, महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 48 के अधीन आवश्यकतानुसार अनुमोदित सीलिंग दरें एवं शर्तों के विवरण सहित दरमानों की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकारी से संपर्क करना होगा।

**11.2** मार्गदर्शनों के खंड 3.8.5 के अनुसार दरमानों या एवं शर्तों के विवरण के व्याख्या या स्पष्टिकरणों पर किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रश्न उठता है तो विषय को इस प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा और इस संबंध में इसके निर्णय पर संचालक बाध्य होगा।

**11.3** प्रॉजेक्ट के निष्पादन नॉम्स को, बोली प्रलेखों में साफ रूप से बताया जाना चाहिए। निजी संचालकों से बोली प्रलेख/शिथिलन समझौता में बताये गये निष्पादन नॉम्स पर काम करने की उम्मीद की जाती है।

**11.4** निजी संचालकों का वास्तविक निष्पादन इस प्राधिकारी द्वारा अनुवीक्षण किया जायेगा। सेवा की क्वालिटी से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है, यह प्राधिकारी इस प्रकार के शिकायतों की जाँच करेगा और इसके निष्कर्ष को तूत्तुकुडि पत्तन न्यास को भेजेगा। निजी संचालकों के विरुद्ध अगर किसी प्रकार की कार्यवाही की जानी है तो तूत्तुकुडि पत्तन न्यास संबंधित शिथिलन समझौता के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करेगा।

**11.5** टर्मिनल पर वाणिज्य संचालन के दौरान, हर तिमाही के अंत से 15 दिनों के अंदर निजी संचालकों पिछले तीन महीनों के दौरान टर्मिनल के प्रत्यक्ष एवं वित्तीय निष्पादन सहित की रिपोर्ट तूत्तुकुडि पत्तन न्यास के माध्यम से इस प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। तिमाही रिपोर्ट, इस आदेश में प्रशुल्क के केप्स के निर्धारण करनेवाले पैरामीटरों से किसी भी प्रकार के विसामान्यता पर विशेष रूप से प्रकाश डालेगा।

**12.0** परिणाम में, एवं ऊपर दिये गये कारणों के लिए और सामूहिक मनोनियोग के आधार पर, यह प्राधिकारी कोयला कार्गो अर्थात् अनुलग्नक-IV के साथ संलग्नितानुसार कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट के सम्मिश्रण में थर्मल कोयला एवं औद्योगिक कोयला, की सम्हलाई के लिए अलग रूप से अप्फ्रन्ट प्रशुल्क अनुसूची केप्स का अनुमोदन करता है।

(रानी जाधव)  
अध्यक्ष

अनुलग्नक- I

प्राधिकरण द्वारा, कोयला कार्गो अर्थात् रॉक फॉस्फेट एवं कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के सम्मिश्रण में थर्मल कोयला, एवं औद्योगिक कोयला के अतिरिक्त सम्वहलाई के लिए अप्फ्रन्ट प्रशुल्क निर्धारण करने हेतु दिनांक 23 फरवरी 2010 के जरिए नियत तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास पर कोयला टर्मिनल के लिए अप्फ्रन्ट प्रशुल्क की समीक्षा

रुपये लाखों में

क्र.सं.	विवरण	टीपीटी द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2010 के पत्र के जरिए प्रस्तुत संशोधित प्राक्कलन (टिप्पणी संदर्भ को देखें)	टेम्प द्वारा संशोधित टीपीटी का प्राक्कलन
I	इष्टतम क्षमता		
(i)	इष्टतम क्वे क्षमता		
(क)	जहाजों के साइजों का अंश		
	पनामेक्स जहाजों की क्षमता का प्रतिशत अंश (थर्मल कोयले के लिए) जहाज 75000 डीडब्ल्यूटी तक (एस 1)	56.0%	56.0%
	पनामेक्स जहाजों की क्षमता का प्रतिशत अंश (औद्योगिक कोयले के लिए) (एस 2)	7.0%	7.0%
	पनामेक्स जहाजों की क्षमता का प्रतिशत अंश (रॉक फॉस्फेट के लिए) (एस 3)	15.0%	15.0%
	पनामेक्स जहाजों की क्षमता का प्रतिशत अंश (कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के लिए) (एस 4)	22.00%	22.00%
(ख)	शिप डे आउटपुट (प्रतिदिन टनों में)		
	—पानामेक्स जहाज(थर्मल कोयले के लिए) (पी 1)	40000	40000
	—पानामेक्स जहाज(कॉपर कॉन्सन्ट्रेट, रॉक फॉस्फेट के लिए) (पी 2)	25000	25000
	—पानामेक्स जहाज(औद्योगिक कोयले के लिए) (पी 3)	25000	25000
(ग)	इष्टतम क्वे क्षमता कार्गो-वार = $0.7*((एस 1 * पी 1)+(एस 2 * पी 2))*365$		
	थर्मल कोयले के लिए इष्टतम क्वे क्षमता	5723200	5723200
	औद्योगिक कोयले के लिए इष्टतम क्वे क्षमता	447125	447125
	रॉक फॉस्फेट के लिए इष्टतम क्वे क्षमता	958125	958125

	कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के लिए इष्टतम क्वे क्षमता	1405250	1405250
	इष्टतम क्वे क्षमता	<b>8533700</b>	<b>8533700</b>
	इष्टतम क्वे क्षमता मिलियन टनों में	<b>8.53</b>	<b>8.53</b>
(ii)	इष्टतम यार्ड क्षमता		
(क)	पत्तन द्वारा उपलब्ध कराए गए यार्ड का क्षेत्र में) (स्कव0मी0 में)	(ए) थर्मल कोयला 39200, औद्योगिक कोयला 4900, रॉक फॉस्फेट 10500 एवं कॉपर कॉन्सन्ट्रेट 15400	थर्मल कोयला 39200, औद्योगिक कोयला 4900, रॉक फॉस्फेट 10500 एवं कॉपर कॉन्सन्ट्रेट 15400
(ख)	स्टाकिंग के लिए क्षेत्र की उपलब्धता	(यू) 70%	70%
(ग)	स्टाकिंग की राशि प्रति स्कव0 मी0 (टन) थर्मल कोयले के लिए	(क्यू) 6.6टी/स्कव0मी	6.6टी/स्कव0मी0
	कॉपर कॉन्सन्ट्रेट, रॉक फॉस्फेट, एवं औद्योगिक कोयले केलिए	औद्योगिक कोयले के लिए 3.5 टी/स्कव0 मी0, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट और रॉक फॉस्फेट के लिए 6.6 टी/स्कव0 मी0	औद्योगिक कोयले के लिए 3.5 टी/स्कव0 मी0, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट और रॉक फॉस्फेट के लिए 6.6 टी/स्कव0 मी0
(घ)	प्लॉट का वार्षिक टर्नओवर अनुपात (टी)	थर्मल और आद्योगिक कायले के लिए 28, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट और रॉक फॉस्फेट के लिए 14	थर्मल और आद्योगिक कायले के लिए 28, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट और रॉक फॉस्फेट के लिए 28
(ड.)	इष्टतम यार्ड क्षमता (टनों में) = $0.7 * ए * यू * क्यू * टी$	5070912	5070912
	इष्टतम यार्ड क्षमता (टनों में) (औद्योगिक कोयला के लिए)	336140	336140
	इष्टतम यार्ड क्षमता (टनों में) (रॉक फॉस्फेट के लिए)	679140	1358280
	इष्टतम यार्ड क्षमता (टनों में) (कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के लिए)	996072	1992144
(च)	कुल इष्टतम यार्ड क्षमता (टनों में)	<b>7082264</b>	<b>8757476</b>

छ)	कुल इष्टतम यार्ड क्षमता (मिलियन टनों में)	7.08	8.76
(iii)	टर्मिनल की इष्टतम क्षमता—इष्टतम क्वे क्षमता का निम्न मूल्य एवं इष्टतम स्टाक यार्ड क्षमता (मिलियन टनों में)	7.08	8.53
	वैयक्तिक कार्गो के लिए क्वे क्षमता/यार्ड क्षमता के निम्न पर विश्लेषण के लिए विचारार्थ इष्टतम क्षमता		
	थर्मल कोयला के लिए—यार्ड की क्षमता	—	5070912
	औद्योगिक कोयला के लिए—यार्ड की क्षमता	—	336140
	रॉक फॉस्फेट के लिए—क्वे क्षमता	—	958125
	कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के लिए—क्वे क्षमता	—	1405250
	कुल इष्टतम क्षमता टनों में	—	7770427
	टर्मिनल की कुल इष्टतम क्षमता मिलियन टनों में	7.08	7.77

क्रम सं	विवरण	टीपीटी द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2010 के पत्र के जरिए प्रस्तुत संशोधित प्राक्कलन (टिप्पणी संदर्भ को देखें)	टेम्प द्वारा संशोधित टीपीटी का प्राक्कलन
II	<b>पूँजी लागत</b>		
(i)	<b>कार्गो सम्हलाई गतिविधि</b>	रुपये लाखों में	रुपये लाखों में
(क)	सिविल लागत	6598.00	6598.00
(ख)	उपस्कर लागत	22166.00	22166.00
(ग)	विविध ( (क) और (ख) पर, 5% का कार्य ठेका कर को छोड़कर)	1405.00	1405.00
	<b>सम्हलाई गतिविधि के लिए कुल पूँजी लागत (क)+(ख) +(ग)</b>	<b>30169.00</b>	<b>30169.00</b>
(ii)	बर्थिंग सेवाओं के लिए पूँजी लागत	<b>3040.00</b>	<b>3040.00</b>
(iii)	प्रॉजेक्ट की कुल पूँजी लागत	<b>33209.00</b>	<b>33209.00</b>
III	<b>परिचालन लागत</b>		
(i)	<b>कार्गो सम्हलाई गतिविधि</b>		
	(क) पॉवर लागत (@1.4 यूनिट प्रति टन)	647.11	708.20
	(ख) मरम्मत एवं रखरखाव		
	– सिविल परिसंपत्तियों (सिविल कार्य पर 1% )	65.98	65.98
	–यांत्रिक एवं इलक्ट्रीकल उपस्कर, स्पेयर्स को शामिल (यांत्रिक एवं इलक्ट्रीकल कार्य पर 7% )	1551.62	1551.62
	(ग) बीमा (ग्रास नियत परिसंपत्तियों पर 1%)	301.69	301.69
	(घ) मूल्यह्रास		
	– सिविल परिसंपत्तियों 3.34%	220.37	220.37
	– यांत्रिक एवं इलक्ट्रीकल कार्य 10.34%	2291.96	2291.96
	(ड.) लाइसेन्स शुल्क		
	– वॉटर फ्रन्ट प्रभार (33250 स्क्व0 मी0 @ रु 8 प्रति स्क्व0 मी0/महीना*12 )	31.92	31.92
	–हेयर आइलेन्ट पर स्टाक यार्ड (126000 स्क्व0 मी0 @ रु 6.40 प्रति स्क्व0 मी0/महीना*12 )	96.77	96.77
	–कन्वेयर्सों के लिए वे लीव (36480 स्क्व0 मी0 @ रु 1.428 प्रति स्क्व0 मी0/वर्ष)	0.52	0.52

	वेतन एवं ओवरहेड्स की ओर अन्य खर्च (परिसंपत्तियों की ग्रास मूल्य पर 5%)	1508.45	1508.45
	<b>कुल परिचालन लागत</b>	<b>6716.39</b>	<b>6777.48</b>
IV	<b>राजस्व आवश्यकता &amp; प्रस्तावित प्रशुल्क</b>		
(i)	<b>कार्गो सम्हलाई प्रभार</b>		
	<b>1. राजस्व आवश्यकता</b>		
	(क) कुल परिचालन लागत	6716.39	6777.48
	(ख) नियोजित पूँजी पर प्रतिफल @ 16%	4827.04	4827.04
	<b>(ग) कार्गो सम्हलाई गतिविधि से कुल राजस्व आवश्यकता</b>	<b>11543.43</b>	<b>11604.52</b>
	<b>2. राजस्व आवश्यकता का संविभाजन</b>		
	(क) कोयला सम्हलाई प्रभार (एआरआर 98%)	11312.56	11372.42
	(ख) भंडारण प्रभार (एआरआर 1%)	114.86	116.05
	(ग) विविध प्रभार (मिलियन टन प्रति वर्ष)	116.01	116.05
	<b>(घ) कार्गो सम्हलाई गतिविधि से कुल राजस्व आवश्यकता</b>	<b>11543.43</b>	<b>11604.52</b>
	<b>3. प्रस्तावित प्रशुल्क प्रति टन दर</b>		
	<b>(क) कोयला सम्हलाई प्रभार (सम्मिश्रित)</b>		
	— राजस्व आवश्यकता (रुपये लाखों में)	11312.56	11372.42
	— क्षमता (मिलियन टन प्रति वर्ष)	7.08	7.77
	सम्मिश्रित सम्हलाई प्रभार—कार्गो—वार (रुपयें प्रति टन)—विदेशी		
	थर्मल कोयला (विदेशी या तटीय)	136.87	121.11
	औद्योगिक कोयला	211.36	193.78
	रॉक फॉस्फेट	219.46	193.78
	कॉपर कॉन्सन्ट्रेट	217.27	193.78
	(ख) भंडारण प्रभार		
	— राजस्व आवश्यकता (रुपये लाखों में)	114.86	116.05

	– भंडारण प्रभार आकर्षित करने के कार्गो का %		14.3%
	– भंडारण प्रभार अदा करनेवाले संभाव्य कार्गो (लाख टन)		11.11
	(i) फ्री अवधि	10 दिन	10 दिन
	(ii) भंडारण प्रभार (फ्री अवधि से परे)	दर प्रति टन प्रति दिन या उसका अंश	दर प्रति टन प्रति दिन या उसका अंश
	– पहला छे दिन	1.14	1.74
	– अगला छे दिन	1.84	2.82
	– उसके बाद	3.60	5.50
	(ग) विविध प्रभार		
	– राजस्व आवश्यकता (लाखों में)	116.01	116.05
	– क्षमता (मिलियन टन प्रति वर्ष)	7.08	7.77
	– विविध प्रभार प्रति टन	1.64	1.49
	(ii) बर्थ किराया प्रभार	(रुपये लाखों में)	(रुपये लाखों में)
(क)	दिनांक 23 फरवरी 2010 के प्रशुल्क आदेश में अनुमानितानुसार बर्थिंग सेवाओं से राजस्व आवश्यकता	648.74	648.74
	बर्थ किराया प्रभार		
	विदेशी जानेवाले जहाज़ (औद्योगिक कोयला) (दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा) रुपयों में	0.4318	0.3672
	तटीय जहाज़ (थर्मल कोयला) (दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा) रुपयों में	0.2591	0.2203

**टिप्पणी :**

टीपीटी ने दिनांक 14 जुलाई 2010 के उसके पत्र में 7.08 मिलियन टन पर आंकलित इष्टतम क्षमता के संदर्भ में, परिचालन लागत अनुमानित राजस्व आवश्यकता के गणन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। ऊपर तैयार किये गये विवरण में, टीपीटी द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2010 एवं 15 जुलाई 2010 में सम्मिश्रित सम्वलार्ई प्रभार एवं भंडारण प्रभार को पाने के लिए विचारार्थ राजस्व आवश्यकता को बेस के रूप में लिया गया है और अन्य आंकडों को, पत्तन द्वारा उसके पत्र दिनांकित 17 जून 2010 में प्रस्तुत लागत विवरण के आधार पर बहिर्वेशनित हैं जो, पत्तन द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2010 के उसके प्रस्ताव में, प्रस्ताव किये गये संशोधित अप्फ्रन्ट दर के समय विचारार्थ राजस्व आवश्यकता के अनुकूल बनाने हेतु उपयुक्त संशोधन किया गया है।

सम्वहलाई प्रभारों के गणन को दिखता विवरण

अनुलग्नक- 11

टीपीटी द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2010 के पत्र के जरिए समीक्षा प्रस्ताव

कार्गों वर्ग	कार्गों का अंश	टनों/दिन में सम्वहलाई दर	सम्वहलाई किए जाने वाले कार्गों (टनों में)	कार्गों के कार्यदिवस	कार्गों के कार्यदिवसों की प्रतिशतता	राजस्व आवश्यकता (रु लाखों में)	सम्वहलाई किए जाने वाले कार्गों	सम्वहलाई किए जाने वाले कार्गों	रूपया प्रति टन में दर	रूपया प्रति टन में दर
							(विदेशी) टनों में	तटीय (टनों में)	विदेशी कार्गों के लिए	तटीय कार्गों के लिए
थर्मल कोयला	56.00%	40000	5070912	127	61.18%	6940.56	0	5070912	-	136.87
औद्योगिक कोयला	7.00%	25000	336140	13	6.49%	710.45	336140	0	211.36	126.82
कॉपर कॉन्सन्ट्रेट	15.00%	25000	679140	27	13.11%	2186.00	679140	0	219.46	131.68
रॉक फॉस्फेट	22.00%	25000	996072	40	19.23%	1475.55	996072	0	217.27	130.36
<b>कुल</b>	<b>100%</b>		<b>7082264</b>	<b>207</b>	<b>100%</b>	<b>11312.56</b>	<b>2011325</b>	<b>5070912</b>		

सम्वहलाई प्रभारों के गणन को दिखता विवरण

टेम्प द्वारा संशोधित

कार्गों वर्ग	कार्गों का अंश	टनों/दिन में सम्वहलाई दर	सम्वहलाई किए जाने वाले कार्गों (टनों में)	कार्गों के कार्यदिवस	कार्गों के कार्यदिवसों की प्रतिशतता	राजस्व आवश्यकता (रु लाखों में)	सम्वहलाई किए जाने वाले कार्गों	सम्वहलाई किए जाने वाले कार्गों	रूपया प्रति टन में दर	रूपया प्रति टन में दर
							(विदेशी) टनों में	तटीय (टनों में)	विदेशी कार्गों के लिए	तटीय कार्गों के लिए
थर्मल कोयला	56.00%	40000	5070912	127	54.00%	6141.40	0	5070912	121.11	121.11
औद्योगिक कोयला	7.00%	25000	336140	13	5.73%	651.36	336140	0	193.78	116.27
कॉपर कॉन्सन्ट्रेट	15.00%	25000	958125	38	16.33%	1856.62	958125	0	193.78	116.27
रॉक फॉस्फेट	22.00%	25000	1405250	56	23.94%	2723.04	1405250		193.78	116.27
<b>कुल</b>	<b>100%</b>		<b>7770427</b>	<b>235</b>	<b>100%</b>	<b>11372.42</b>	<b>2699515</b>	<b>5070912</b>		

बर्थ किराया परिकलन

टीपीटी द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2010 के फेक्स के जरिए प्रस्तुत वर्किंग				
क्रम सं	विवरण	थर्मल कोयला	औद्योगिक कोयला, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट	कुल
i	औसत डीडबल्यूटी	75000	75000	
ii	शिप डे आउटपुट	40000	25000	
iii	औसत जीआरटी	40000	40000	
iv	औसत पार्सल साइज़	60000	60000	
v	सम्हलाई किये जाने का संभाव्य टनेज	5070912	2011352	7082264
vi	बर्थ दिवसों का औसत संख्या (v/ii)	127	80	207
vii	बर्थ घंटों की संख्या {24 X (vi)}	3043	1931	4973
viii	जहाज़ों की संभाव्य संख्या (v/iv)	85	34	118
ix	कुल जीआरटी घंटें	121701888	77235917	198937805
x	राजस्व आवश्यकता			648.74
xi	बर्थ किराया-विदेश जानेवाले जहाज़			0.4318
	बर्थ किराया-तटीय जहाज़			0.2591

विदेश के लिए काम करनेवाले / तटीय जहाज़ दर		
$77235917X + 121701888 * 0.6 X =$		<b>648.74</b>
$77235916X + 73021133 * 0.6 X =$		<b>648.74</b>
$X =$ विदेश जानेवाले जहाज़ दर		<b>0.4318</b>
तटीय जहाज़ दर = $0.6 X$ विदेश जानेवाले जहाज़ दर		<b>0.2591</b>

टीपीटी के समीक्षा प्रस्ताव पर टेम्प का संशोधित वर्किंग

क्रम सं	विवरण	थर्मल कोयला	औद्योगिक कोयला,	कॉपर कॉन्सन्ट्रेट एवं रॉक फॉस्फेट	कुल
i	औसत डीडबल्यूटी	75000	75000	75000	
ii	शिप डे आउटपुट	40000	25000	25000	
iii	औसत जीआरटी	40000	40000	40000	
iv	औसत पार्सल साइज़	60000	60000	60000	
v	सम्हलाई किये जाने का संभाव्य टनेज	5070912	336140	2363375	7770427
vi	बर्थ दिवसों का औसत संख्या (v/ii)	127	13	95	235
vii	बर्थ घंटों की संख्या {24 X (vi)}	3043	323	2269	5634
viii	जहाज़ों की संभाव्य संख्या (v/iv)	85	6	39	130
ix	कुल जीआरटी घंटें	121701888	12907776	90753600	225363264
x	राजस्व आवश्यकता				<b>648.74</b>
xi	बर्थ किराया—विदेश जानेवाले जहाज़				<b>0.3672</b>
	बर्थ किराया—तटीय जहाज़				<b>0.2203</b>

विदेश के लिए काम करनेवाले/तटीय जहाज़ दर		
$103661376X + 121701888 * 0.6 X =$		648.74
$103661376X + 121701888 * 0.6 X =$		648.74
$X =$ विदेश जानेवाले जहाज़ दर		0.3672
तटीय जहाज़ दर = $0.6 X$ विदेश जानेवाले जहाज़ दर		0.2203

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास

रॉक फॉस्फेट एवं कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के सम्मिश्रण में थर्मल कोयला, औद्योगिक कोयला समाविष्ट होते हुए कोयला कार्गो की सम्हलाई के लिए अप्फ्रन्ट प्रशुल्क अनुसूची

1.1 परिभाषा—सामान्य

इस दरमान में, अन्यता जब तक इस विषय की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी :

- (i) “तटीय जहाज़” का मतलब, कोई भी जहाज़, भारत में किसी भी पत्तन या जगह से भारत में किसी अन्य पत्तन या जगह के बीच व्यापार करने हेतु, प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी मान्य तटीय लाइसेन्ज़ रखनेवाले विशेष रूप से नियोजित कोई भी जहाज़ है।
- (ii) “दिन” का मतलब, दिन के पूर्वाह्न छे बजे से शुरु होकर अगले दिन के पूर्वाह्न छे बजे तक खदम होने की अवधि है।
- (iii) “विदेश जानेवाला जहाज़” का मतलब, तटीय जहाज़ को छोडकर कोई भी अन्य जहाज़।

1.2 सामान्य शर्तें एवं उपबंध

- (i) जहाज़ का स्टेटस, सीमाशुल्क या नौवहन महानिदेशक द्वारा उसके प्रमाणीकरण द्वारा बताये गये अनुसार प्रभारों से संबंधित उगाही जहाज़ के उद्देश्य के लिए “तटीय” या “विदेश जानेवाले” के रूप में वर्गीकरण करने के लिए निर्णायक फेक्टर होगा; और कार्गो का प्रकार या उसके उत्पन्नता का इस उद्देश के लिए कोई भी संबंध नहीं होगा।
- (ii) (क) भारतीय पताका के विदेश जानेवाले जहाज़ को, जिसके पास सामान्य व्यापार लाइसेन्स है, सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय रन के रूप में बदला जा सकता है।

- (ख) विदेशी पताका के विदेश जानेवाले जहाज़ को, नौवहन महानिदेशक के द्वारा जारी तटीय जलयान लाइसेन्स के आधार पर तटीय दर के रूप में बदला जा सकता है।
- (ग) इस प्रकार के बदलाव के मामलों में, लादान पत्तन द्वारा, जहाज़ द्वारा तटीय मालों को लादे जाने के समय से तटीय दर प्रभावी होगा।
- (घ) इस प्रकार के बदलाव के मामले में, तटीय प्रभारें तब तक के लिए प्रभावी होंगी जब तक की जहाज़ तटीय कार्गो का अवतारण संचालन पूरा नहीं कर देता; तुरंत उसके बाद अवतारण पत्तनों द्वारा विदेश जानेवाले दर प्रभावी होंगी।
- (ङ) डेडीकेटेड भारतीय तटीय जहाज़ों के लिए, जिसके पास नौवहन महानिदेशक का तटीय लाइसेन्स है, तटीय दरों के लिए अधिकृत किये जाने हेतु कोई अन्य प्रलेख की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iii) (क) सभी तटीय जहाज़ों के लिए बर्थ किराया प्रभार, अन्य जहाज़ों के समनुरूप प्रभारों के 60% से अधिक नहीं होगा।
- (ख) थर्मल कोयला को छोड़कर सभी तटीय कार्गो के लिए कार्गो संबंधित प्रभार, सामान्य कार्गो से संबंधित प्रभारों के 60% से अधिक नहीं होगा।
- (ग) कार्गो संबंधित प्रभारों के मामले में, जहाज़ तट अंतरण एवं क्वे से/तक भंडारण यार्ड से/तक जिसमें वार्फेज शामिल है, के लिए सभी संबंधित सम्वलई दरों पर शिथिलन दरें उगाही किये जाने चाहिए।
- (घ) विदेशी पत्तन से कार्गो, जो भारतीय पत्तन "क" तक, बाद में भारतीय पत्तन "ख" तक नौकान्तरण होने के लिए पहुँचता है, पर उसके तटीय जलयान के लिए संबंधित शिथिलन दरों का उगाही होगा। अन्य शब्दों में, तटीय जलयान करने के लिए अनुमति प्राप्त जहाज़ों द्वारा,

भारतीय पत्तनों तक लाये गये/से लेकर गये कार्गो के लिए शिथिलन मान्य होगा।

- (iv) ग्रास वेइट या वॉल्यूम द्वारा मापन या किसी भी व्यक्तिगत मद की क्षमता के गणन में 0.5 तक के फ़ाक्शन को 0.5 यूनिट के रूप में लेना होगा और 0.5 एवं इससे ऊपर के फ़ाक्शन को एक यूनिट के रूप में माना जाना चाहिए, सिवाय अन्यथा किसी विशेष रूप से।
- (v) विलंबित भुगतान/प्रतिभूति पर ब्याज
- (क) उपभोक्ता, इस दरमान के अधीन विलंबित भुगतानों पर दाण्डिक ब्याज अदा करेगा। उसी तरह, टर्मिनल संचालक, विलंबित प्रतिभूतियों पर दाण्डिक ब्याज अदा करेगा।
- (ख) दाण्डिक ब्याज का दर, स्टेट बैंक आफ़ इंडिया के प्रैम लेन्डिंग रेट से ऊपर 2% होगा।
- (ग) प्रतिभूति पर का विलंब, सेवाएँ पूरा होने के दिनों से या उपभोक्ता द्वारा सभी आवश्यक प्रलेखों को प्रस्तुत करने पर, जो भी बाद में होता है, बीस दिन तक गिना जायेगा।
- (घ) उपभोक्ता द्वारा भुगतान में विलंब, टर्मिनल संचालक द्वारा दिनांकित बिल की तारीख के बाद से दस दिन तक ही गिना जायेगा। यह प्रावधान, फिरभी, उन मामलों को लागू नहीं होगा जहाँ भुगतान सेवाओं को प्राप्त करने से पहले किया जाता है और जहाँ मानदरों में निहित शर्तों के अनुसार अग्रिम तौर पर प्रभारों का भुगतान किया जाता है।
- (vi) वर्कआउट किये गये सभी प्रभारों को, बिल के सर्वयोग पर अगले उच्च रुपया तक राउन्ड आफ़ किया जायेगा।
- (vii) (क) दरमानों में निर्धारित दरें सीलिंग लेवल है : उसी तरह, रिबेट एवं डिस्काउन्ट फ्लोर लेवल है। टर्मिनल ऑपरेटर अगर चाहता है तो,

निम्न दर प्रभार कर सकता है या / उँचा रिबेट एवं डिस्काउन्ट दे सकता है।

(ख) टर्मिनल संचालक अगर चाहे तो, दरमानों में निर्धारित दरों को लागू करनेवाले निर्धारित शर्तों को भी परिमेय बना सकता है, अगर इस प्रकार का परिमेय उपभोक्ता को, दर प्रति यूनिट और दरमानों में निर्धारित यूनिट दरों में जो सीलिंग लेवल से अधिक नहीं है, राहत देती है।

(ग) टर्मिनल संचालक को, इस प्रकार के निम्न दरों एवं / या इस प्रकार के दरों को लागू करनेवाले शर्तों के परिमेय, शर्तों की नियत नयी दरें टेम्प द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक नहीं है, को जनता को सूचित करना होगा।

(viii) उपभोक्ता को, टर्मिनल ऑपरेटर के उत्तरदायी यथोचित लेवल से परे विलंब के लिए प्रभारों को अदा करने की जरूरत नहीं होगी।

## 2. बर्थ किराया प्रभार

क्रम सं	जहाज़	दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा या उसका भाग	
		विदेश जानेवाले जहाज़ (रुपयों में)	तटीय जहाज़ (रुपयों में)
1	जहाज़	0.3672	0.2203

### टिप्पणियाँ :

(i) बर्थ किराया की अवधि को, जहाज़ द्वारा बर्थ पर दखल देने के समय से बर्थ को छोड़ने के समय तक गणित किया जायेगा।

(ii) (क) बर्थ किराया को, जहाज़ द्वारा सेइल करने की अपनी तैयारी का सिग्नल देने के समय के बाद चार घंटे तक रोक दिया जायेगा।

(ख) बर्थ किराये की समाप्ति के लिए निर्धारित चार घंटे की समय सीमा में, अनुकूल ज्वार स्थिति, तूफानी मौसम एवं रात्री नौसंचालन की कमी के

कारण से जहाज़ द्वारा रुकने के समय को शामिल नहीं किया जायेगा।

(ग) जहाज़ का मास्टर/एजेन्ड सेइल की तैयारी का सिग्नल अनुकूल ज्वार एवं मौसम की स्थिति के अनुसार ही देगा।

(iii) दाण्डिक बर्थ किराया, एक गलत सिग्नल के लिए एक दिन के बर्थ किराया प्रभार (24 घंटे) के बराबर होगा।

“गलत सिग्नल” तभी होगा जब, जहाज़ तैयारी का सिग्नल देते हुए पाइलट के लिए अनुरोध करता है, जब कि जहाज़, इन्जन तैयार न होने, या कार्गो संचालन पूरा न होने या जहाज़ से संबंधित इस प्रकार के अन्य कारणों के कारण, अन्बर्थिंग के लिए तैयार नहीं है। इसमें तैयारी होने के सिग्नल में, जहाज़, अनुकूल ज्वार या रात्री नौसंचालन या विपरीत मौसम की स्थिति के कारण सेइल नहीं हो पाता, शामिल नहीं है”।

(iv) बेदखल प्राथमिकता/प्राथमिकता बर्थ किराया प्रभार :  
बेदखल प्राथमिकता बर्थिंग /प्राथमिकता बर्थिंग प्रदान करने की शर्तें एवं उपबंध, इस संबंध में वर्तमान सरकारी मार्गदर्शनों और तूत्तुकुडि पत्तन न्यास के दरमानों में निर्धारित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगा।

(v) कोई भी बर्थ किराया उस अवधि के लिए उगाही नहीं होगा जब जहाज़, टर्मिनल संचालक के उपस्कर के ब्रेकडाउन होने या पावर फेइलियर या टर्मिनल संचालक से संबंधित किसी अन्य कारणों के कारण लगातार एक या ज्यादा घंटों के लिए बर्थ पर वह आइडल रहता है।

### 3. कार्गो सम्हलाई प्रभार

क्रम सं	पदार्थ	यूनिट	दर रुपयों में	
			विदेशी	तटीय
(क)	थर्मल कोयला	प्रति मेट्रिक टन	121.11	121.11
(ख)	औद्योगिक कोयला	प्रति मेट्रिक टन	193.78	116.27
(ग)	रॉक फॉस्फेट	प्रति मेट्रिक टन	193.78	116.27
(घ)	कॉपर कॉन्सन्ट्रेट	प्रति मेट्रिक टन	193.78	116.27

#### टिप्पणी :

उपर्युक्त निर्धारित कार्गो सम्वहलाई प्रभारें सम्मिश्रित प्रभारें और जहाज़ से कार्गो के अवतारण करने, भंडारण के पाइन्ट तक अंतरण करने दस दिन की फ्री अवधि तक स्टाक यार्ड पर भंडारण करने, ट्रकों पर लादने, वार्फेज़ और दरमानों में विशेष रूप से निर्धारित न किये गये सभी अन्य विविध सेवाओं, के प्रभार शामिल है।

#### 4. भंडारण प्रभार (प्रति टन प्रति दिन)

दी गयी फ्री अवधि से परे स्टाक यार्ड भंडारित कार्गो के भंडारण प्रभारें नीचे दिये गये अनुसार होंगे :

(क) फ्री अवधि : 10 दिन

(ख) फ्री अवधि के बाद भंडारण प्रभार (प्रति टन/दिन)

फ्री अवधि की समाप्ति के बाद पहले का छे दिन – रु 1.74 प्रति टन प्रति दिन  
 अगले छे दिनों के लिए – रु 2.82 प्रति टन प्रति दिन  
 उसके बाद – रु 5.50 प्रति टन प्रति दिन

#### टिप्पणियाँ :

(i) फ्री अवधि के गणन के उद्देश्य के लिए, सीमाशुल्क द्वारा अधिसूचित छुट्टियाँ एवं टर्मिनल के कार्यदिवस न हाने को शामिल नहीं किया जायेगा।

- (ii) आयात कार्गो के लिए फ्री अवधि, जहाज़ से अंतिम अवतारण पूरा होने के दिन के अगले दिन से मान्य होगा
- (iii) कार्गो पर भंडारण प्रभार उस अवधि के लिए प्रोदभूत नहीं होगा जब टर्मिनल संचालक उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर, टर्मिनल ऑपरेटर से संबंधित कारणों के कारण कार्गो को डेलिवर करने/शिप करने की स्थिति में नहीं है।

#### 5. विविध प्रभारें :

निम्नलिखित विविध प्रभारें सम्हाले गये थर्मल कोयला, औद्योगिक कोयला, रॉक फॉस्फेट एवं कॉपर कॉन्सन्ट्रेट के लिए लागू हैं :

क्रम सं.	विवरण	दर प्रति टन या उसका भाग (रुपयों में)
(i)	सभी विविध सेवाओं के लिए प्रभारें जैसे कि पर्यावरण एवं प्रबंधन, वार्फ सुरक्षा उपायों पर कार्गो की स्वीपिंग, इत्यादि।	1.49

#### 6. अनुसूची (2) से (5) तक के लिए सामान्य टिप्पणी :

प्रशुल्क केप्स को मुद्रास्फीति को सूचकांक किया जायेगा, लेकिन 1 जनवरी 2010 एवं संबंधित वर्ष के 1 जनवरी के बीच होनेवाले होलसेल प्रैस इन्डेक्स (डबल्यूपीआइ) में के विभिन्नता के 60% तक होगा। प्रशुल्क केप्स के इस प्रकार का स्वचालित समंजन हर साल किया जायेगा और समंजित प्रशुल्क केप्स संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल से आनेवाले वर्ष के 31 मार्च तक प्रभावी होगा।